वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** से
डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 3] **भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 17 जनवरी, 2020-पौष 27, शके 1941**

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

CHANGE OF NAME

It is informed to all that in the marksheet certificate of high school examination my name is written as Shrim Kumari Nayak with correct date of birth 13-03-1983, whenever in the marksheet certificate of my further next higher examination and all other government certificate samagra identity, document evidence etc. my name is Shrim Nayak with the same correct date of birth 13-03-1983. I Shrim Nayak affirm and declare that Shrim Kumari Nayak and Shrim Nayak are the name of one and the same person and that is myself and my date of birth is 13-03-1983 as shown in each document. In future, I should be known as Shrim Nayak.

Old Name :

(SHRIM KUMARI NAYAK)
D/o Hari Kant Nayak.

New Name :

(SHRIM NAYAK)
D/o Hari Kant Nayak,
Silari, Tahsil Deori,
Dist. Sagar (M.P.).

(972-B.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे शैक्षणिक दस्तावेज में मेरा नाम कु. युसुफ जोहरा (KM. YUSUF ZOHRA) दर्ज है. अब मैंने अपना नाम बदलकर शीबा जहरा (SHEEBA ZEHRA) रख लिया है एवं यही नाम मेरे आधार में भी शीबा जहरा (SHEEBA ZEHRA) दर्ज है जो कि सत्य व सही है. अतः भविष्य में मुझे कु. युसुफ जोहरा (KM. YUSUF ZOHRA) के स्थान पर शीबा जहरा (SHEEBA ZEHRA) के नाम से जाना व पहचाना जावे और मेरे सभी प्रकार के दस्तावेजों में मेरा नाम शीबा जहरा (SHEEBA ZEHRA) किया जावे.

पुराना नाम :
(कु. युसुफ जोहरा)

(KM. YUSUF ZOHRA)

नया नाम :
(शीबा जहरा)

(SHEEBA ZEHRA)
पत्नी-वकार हुसैन रिजवी,
निवासी-नूरगंज, सेवा नगर पुलिया के पास,
ग्वालियर (म.प्र.)

(973-बी.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि, पूर्व में मेरा नाम डी श्रीनिवास नायडू (D.SHRINIVAS NAIDU) था जो त्रुटिवश मेरी कक्षा 11वीं की अंकसूची में हो गया था. जो कि अब वर्तमान में श्रीनिवास नायडू डोमेटी (SHRINIVAS NAIDU DOMMETY) हो गया है जो पूर्णता सही है. अब भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना व पहचाना जावे.

पुराना नाम :

(डी श्रीनिवास नायडू)
(D SHRINIVAS NAIDU)

नया नाम :

(श्रीनिवास नायडू डोमेटी)
(SHRINIVAS NAIDU DOMMETY)
Address- 91, Type-3, B- Sector, Piplani,
Near Women Helping Hand,
Bhel, Teh- Huzur Bhopal.

(974-बी.)

CHANGE OF NAME

My Old Name Shubhangi Shrivastava D/o Sunil Kumar Shrivastava R/o H.No. 145, Sardar Ward No.10, Sohagpur, Hoshangabad (M.P.). I have changed my name my new name is now known and called as Tanureet Tomar W/o Agnimesh Singh Tomar R/o- A-26, Dwarka Dham, Near New Central Jail, Badwai, Tehsil Huzur, Dist- Bhopal MP 462038.

Old Name :

(SHUBHANGI SHRIVASTAVA)

New Name :

(TANUREET TOMAR)

(975-B.)

नाम परिवर्तन

मैं, मोहन सिंह कुशवाह पुत्र श्री गणेश राम कुशवाह सर्व-साधारण को सूचित करता हूं मेरा बोलता नाम मोहन सिंह था जो मेरी बी.एस.एन.एल. विभाग के सर्विस बुक में मेरा नाम मोहन सिंह अंकित हो गया है जबकि मेरे शासकीय प्रपत्रों जैसे पैनकार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक इत्यादि में मेरा नाम मोहन सिंह कुशवाह अंकित है एवं वर्तमान में मुझे मोहन सिंह कुशवाह के नाम से ही जाना, पहचाना एवं पुकारा जाता हूं तथा भविष्य में भी मैं इसी नाम मोहन सिंह कुशवाह के नाम से जाना, पहचाना एवं पुकारा जाता रहूंगा. अतः मेरे बी.एस.एन.एल. विभाग के सर्विस बुक में मेरा नाम मोहन सिंह के स्थान पर सही नाम मोहन सिंह कुशवाह अंकित किया जाए. सर्वजन एवं आमजन सूचित हो.

पुराना नाम :

(मोहन सिंह)

नया नाम :

(मोहन सिंह कुशवाह)
पुत्र-श्री गणेश राम कुशवाह,
गुड़ीगुड़ा का नाका, बालाजी पुरम ग्वालियर (म.प्र.).

(976-बी.)

CHANGE OF NAME

I declare that, before marriage my name was Shanta Khatod D/o Shri Ramchandra Khatod. After marriage we have changed it as Shanta Khatod To Shanta Kabra W/o Shri Kamal Kumar Kabra. Henceforth my name will be written as Shanta Kabra W/o. Shri Kamal Kumar Kabra for all purpose.

Old Name :

(SHANTA KHATOD)
D/o. Shri Ramchandra Khatod.

New Name :

(SHANTA KABRA)
W/o. Shri Kamal Kumar Kabra.

(977-B.)

CHANGE OF NAME

My Old Name Ram Kumar Renwal, Address B-1, B.D.A Colony Airport Road, Mayapura Bhopal M.P. I have changed my name my new name is now Ram Renwal Bansal S/o Laxman Das Ji Renwal

Old Name :

(RAM KUMAR RENWAL)

New Name :

(RAM RENWAL BANSAL)

(978-B.)

नाम परिवर्तन

मैं, मंगल सिंह कुशवाह पुत्र श्री हरिराम कुशवाह सर्व-साधारण को सूचित करता हूं मेरा बोलता नाम मंगल सिंह था जो मेरी बी.एस.एन.एल. विभाग के सर्विस बुक में मेरा नाम मंगल सिंह अंकित हो गया है जबकि मेरे शासकीय प्रपत्रों जैसे पैनकार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक इत्यादि में मेरा नाम मंगल सिंह कुशवाह अंकित है एवं वर्तमान में मुझे मंगल सिंह कुशवाह के नाम से जाना, पहचाना एवं पुकारा जाता हूं तथा भविष्य में भी मैं इसी नाम मंगल सिंह कुशवाह के नाम से जाना, पहचाना एवं पुकारा जाता रहूंगा. अत: मेरे बी.एस.एन.एल. विभाग के सर्विस बुक में मेरा नाम मंगल सिंह के स्थान पर सही नाम मंगल सिंह कुशवाह अंकित किया जाए. सर्वजन एवं आमजन सूचित हों.

पुराना नाम :
(मंगल सिंह)

नया नाम :
(मंगल सिंह कुशवाह)
पुत्र-हरिराम कुशवाह,
199, शिव नगर खटके की छतरी के पास,
घोसीपुरा स्टेशन लश्कर, ग्वालियर (म.प्र.).

(979-बी.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा नाम श्रीमती विमला देवी पत्नी श्री डोंगर सिंह कुशवाह है जो मेरे सभी शासकीय/अर्द्ध शासकीय प्रपत्रों जैसे पेन कार्ड, आधार कार्ड आदि में लिखा गया है जबकि मेरे पति डोंगर सिंह कुशवाह के बी.एस.एन.एल. विभाग के सर्विस बुक में मेरा नाम गलती से विमलेश लिखा गया है जो कि गलत है जबकि वर्तमान में श्रीमती विमला देवी पत्नी श्री डोंगर सिंह कुशवाह के नाम से जानी, पहचानी एवं पुकारी जाती हूं और भविष्य में भी इसी नाम से जानी, पहचानी एवं पुकारी जाऊंगी. अत: मेरे पति के बी.एस.एन.एल. विभाग के सर्विस बुक में मेरा नाम विमलेश के स्थान पर सही नाम श्रीमती विमला देवी पत्नी श्री डोंगर सिंह कुशवाह लिखा एवं पढ़ा जाये. आमजन एवं सर्वजन सूचित हों.

पुराना नाम :
(विमलेश)

नया नाम :
(विमला देवी)
पत्नी-श्री डोंगर सिंह कुशवाह,
चंदोरकर का बाड़ा, लश्कर, ग्वालियर (म.प्र.).

(980-बी.)

नाम परिवर्तन

मैं, जसवंत सिंह कुशवाह (Jaswant Singh Kushwah) पुत्र श्री पातीराम कुशवाह सर्व-साधारण को सूचित करता हूं मेरा बोलता नाम जसवंत सिंह था जो मेरी बी.एस.एन.एल विभाग के सर्विस बुक में मेरा नाम जसवंत कुशवाह अंकित हो गया है एवं मेरे नाम (Jasbant Kushwah) की स्पेलिन्ग में W के स्थान पर B अंकित किया गया है जो कि गलत है जबकि मेरे शासकीय प्रपत्रों जैसे पैनकार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक इत्यादि में मेरा नाम जसवंत सिंह कुशवाह (Jaswant Singh Kushwah) अंकित है एवं वर्तमान में मुझे जसवंत सिंह कुशवाह (Jaswant Singh Kushwah) के नाम से जाना, पहचाना एवं पुकारा जाता हूं तथा भविष्य में भी मैं इसी नाम जसवंत सिंह कुशवाह (Jaswant Singh Kushwah) के नाम से जाना, पहचाना एवं पुकारा जाऊंगा. अत: मेरे बी.एस.एन.एल. विभाग के सर्विस बुक में मेरा सही नाम जसवंत सिंह कुशवाह (Jaswant Singh Kushwah) एवं नाम की स्पेलिंग में B के स्थान पर W गया अंकित किया जाए. सर्वजन एवं आमजन सूचित हों.

पुराना नाम :
(जसवंत कुशवाह)
(JASBANT KUSHWAH)

नया नाम :
(जसवंत सिंह कुशवाह)
(JASWANT SINGH KUSHWAH)
लक्ष्मी कॉलोनी बुजुर्ग रोड, डबरा,
जिला ग्वालियर (म.प्र.).

(981-बी.)

नाम परिवर्तन

मैं, मोहन सिंह पाल पुत्र श्री नत्थू सिंह पाल सर्व-साधारण को सूचित करता हूं मेरा बोलता नाम मोहन सिंह था जो मेरी बी.एस.एन.एल. विभाग के सर्विस बुक में मेरा नाम मोहन सिंह अंकित हो गया है जबकि मेरे शासकीय प्रपत्रों जैसे पैनकार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक इत्यादि में मेरा नाम मोहन सिंह पाल अंकित है एवं वर्तमान में मुझे मोहन सिंह पाल के नाम से ही जाना, पहचाना एवं पुकारा जाता हूँ. तथा भविष्य में भी मैं इसी नाम मोहन सिंह पाल के नाम से जाना, पहचाना एवं पुकारा जाता रहूंगा. अत: मेरे बी.एस.एन.एल. विभाग के सर्विस बुक में मेरा नाम मोहन सिंह के स्थान पर सही नाम मोहन सिंह पाल अंकित किया जाए. सर्वजन एवं आमजन सूचित हों.

पुराना नाम :
(मोहन सिंह)

नया नाम :
(मोहन सिंह पाल)
पुत्र-श्री नत्थू सिंह पाल,
41, लक्ष्मीपुरम टी.पी. नगर मोतीझील, ग्वालियर (म.प्र.).

(982-बी.)

नाम परिवर्तन

मैं, भुवनेश शाक्य पुत्र श्री नैनाराम शाक्य सर्व-साधारण को सूचित करता हूं कि मेरा नाम भुवनेश शाक्य पुत्र श्री नैनाराम शाक्य है जो गलती से मेरी बीमा पॉलिसी क्रमांक 201241437 एवं अन्य प्रपत्रों में मेरा नाम भुवनेश्वर शाक्य अंकित है जो कि गलत है जबकि वर्तमान में मैं भुवनेश शाक्य के नाम से जाना, पहचाना, एवं पुकारा जाता हूं तथा भविष्य में भी मैं भुवनेश शाक्य के नाम से ही जाना, पहचाना एवं पुकारा जाऊंगा एवं हस्ताक्षर करता रहूँगा. अत: मेरी बीमा पॉलिसी क्रमांक 201241437 एवं अन्य प्रपत्रों में मेरा नाम भुवनेश्वर शाक्य के स्थान पर सही नाम भुवनेश शाक्य लिखा एवं पढ़ा जाये. आमजन एवं सर्वजन सूचित हों.

पुराना नाम :

(भुवनेश्वर शाक्य)

नया नाम :

(भुवनेश शाक्य)
पता-कस्टम रोड वार्ड न.11 डबरा,
जिला ग्वालियर (म.प्र.).

(993-बी.)

नाम परिवर्तन

मैं, मोहम्मद तकी आलम पुत्र श्री कमर आलम सर्व-साधारण को सूचित करता हूं कि मेरा बचपन का बोलता नाम साजिद आलम पुत्र श्री कमर आलम जो कि मेरे पुत्र (1) अमान आलम (2) अयान आलम के शैक्षणिक प्रमाण पत्रों एवं अन्य प्रपत्रों में अंकित हो गया है जबकि वर्तमान में मैं मोहम्मद तकी आलम पुत्र श्री कमर आलम के नाम से जाना, पहचाना एवं पुकारा जाता हूं तथा मेरे आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड इत्यादि में अंकित है तथा भविष्य में भी मैं मोहम्मद तकी आलम पुत्र श्री कमर आलम के नाम से ही जाना, पहचाना एवं पुकारा जाऊंगा तथा हस्ताक्षर करता रहूंगा साजिद आलम एवं मोहम्मद तकी आलम एक ही व्यक्ति के नाम है. अत: मेरे पुत्र (1) अमान आलम (2) अयान आलम के शैक्षणिक प्रमाण-पत्रों एवं अन्य प्रपत्रों में मेरा नाम साजिद आलम के स्थान पर मोहम्मद तकी आलम लिखा एवं पढ़ा जाये. आमजन एवं सर्वजन सूचित हों.

पुराना नाम :

(साजिद आलम)

नया नाम :

(मोहम्मद तकी आलम)
पुत्र-श्री कमर आलम,
पता- गणेश चौक, शेख की बगिया,
हनुमान चौराहा लश्कर, ग्वालियर (म.प्र.).

(994-बी.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि पूर्व में मेरा नाम शैलेश कुकरेजा था किन्तु अब मुझे मेरे नये नाम शैलेश वासुदेव कुकरेजा पुत्र श्री वासुदेव कुकरेजा के नाम से जाना व पहचाना जावे.

पुराना नाम :

(शैलेश कुकरेजा)

नया नाम :

(शैलेश वासुदेव कुकरेजा)
पुत्र-स्व. श्री वासुदेव कुकरेजा,
पता-52 कम्फर्ट ग्रीन्स, न्यू जेल के पास,
करोंद भोपाल (म.प्र.).

(983-बी.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा पक्षकार डैनी शाक्या पुत्र श्री रमेशचन्द्र शाक्या, नदी पार टाल मुरार, जिला ग्वालियर का निवासी है. सभी व्यक्ति मेरे पक्षकार को दीप शाक्या के नाम से जानते व पहचानते हैं परंतु शैक्षणिक एवं अन्य दस्तावेजों में मेरे पक्षकार का नाम डैनी शाक्या है जिससे मेरे पक्षकार को काफी परेशानी होती है.

अत: भविष्य में मेरे पक्षकार के सभी शैक्षणिक एवं अन्य दस्तावेजों में मेरे पक्षकार का नाम दीप शाक्या पुत्र रमेशचन्द्र शाक्या पढ़ा जाये तथा इसी नाम से मेरे पक्षकार को जाना जाये.

पुराना नाम :

(डैनी शाक्या)

नया नाम :

(दीप शाक्या)

(984-बी.)

नाम परिवर्तन

मैं, शपथकर्ता मोहम्मद यासीन उम्र 52 वर्ष पिता श्री ननवा निवासी वार्ड न. 41 महावीर वार्ड देहली इलेक्ट्रानिक्स बुधवारी बाजार छिन्दवाड़ा, तहसील व जिला छिन्दवाड़ा म.प्र. निम्न कथन शपथपूर्वक करता हूं कि यह कि मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम मोहम्मद यासीन वल्द ननवा दर्ज है. यह कि मेरे पेन कार्ड में मेरा नाम मोहम्मद यासीन पिता नन्हे खान दर्ज है. यह कि मैं अपने उक्त पेनकार्ड में भी अपना नाम आधार कार्ड अनुसार मोहम्मद यासीन वल्द ननवा दर्ज करवाना चाहता हूं. अत: उक्त पेनकार्ड में सही नाम मोहम्मद यासीन वल्द ननवा दर्ज किये जाने शपथपत्र प्रस्तुत है.

पुराना नाम :

(मोहम्मद यासीन)
पिता नन्हे खान.

नया नाम :

(मोहम्मद यासीन)
वल्द ननवा,
निवासी-वार्ड न. 41, महावीर वार्ड,
देहली इलेक्ट्रानिक्स बुधवारी बाजार,
छिन्दवाड़ा, तहसील व जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र.).

(985-बी.)

नाम परिवर्तन

मैं, बाल मुकुन्द कुशवाह पुत्र श्री गोपाल सिंह सर्व-साधारण को सूचित करता हूँ मेरा बोलता नाम बाल मुकुन्द था जो मेरी बी.एस.एन.एल. विभाग के सर्विस बुक में मेरा नाम बाल मुकुन्द अंकित हो गया है जबकि मेरे शासकीय प्रपत्रों जैसे पैनकार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक इत्यादि में मेरा नाम बाल मुकुन्द कुशवाह अंकित है एवं वर्तमान में मुझे बाल मुकुन्द कुशवाह के नाम से जाना, पहचाना एवं पुकारा जाता हूं तथा भविष्य में भी मैं इसी नाम बाल मुकुन्द कुशवाह के नाम से जाना, पहचाना एवं पुकारा जाता हूं. अत: मेरे बी.एस. एन.एल. विभाग के सर्विस बुक में मेरा सही नाम बाल मुकुन्द कुशवाह अंकित किया जाए. सर्वजन एवं आमजन सूचित हों.

पुराना नाम :

(बाल मुकुन्द)

नया नाम :

(बाल मुकुन्द कुशवाह)
पुत्र-श्री गोपाल सिंह,
निवासी- बेरागढ़ टेकनपुर, जिला ग्वालियर (म.प्र.).

(986-बी.)

नाम परिवर्तन

मैं, देवेन्द्र सिंह कुशवाह पुत्र स्व. श्री काशीराम कुशवाह सर्व-साधारण को सूचित करता हूँ मेरा बोलता नाम देवेन्द्र सिंह था जो मेरी बी.एस.एन.एल. विभाग के सर्विस बुक एवं अन्य प्रपत्रों में मेरा नाम देवेन्द्र सिंह अंकित हो गया है. जबकि मेरे शासकीय प्रपत्रों जैसे पैनकार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड इत्यादि में मेरा नाम देवेन्द्र सिंह कुशवाह अंकित है एवं वर्तमान में मुझे देवेन्द्र सिंह कुशवाह के नाम से जाना, पहचाना एवं पुकारा जाता हूं तथा भविष्य में भी मैं इसी नाम देवेन्द्र सिंह कुशवाह के नाम से जाना, पहचाना एवं पुकारा जाता रहूंगा. अत: मेरे बी.एस.एन.एल. विभाग के सर्विस बुक में मेरा नाम देवेन्द्र सिंह के स्थान पर सही नाम देवेन्द्र सिंह कुशवाह अंकित किया जाए. सर्वजन एवं आमजन सूचित हों.

पुराना नाम :

(देवेन्द्र सिंह)

नया नाम :

(देवेन्द्र सिंह कुशवाह)
पुत्र-स्व. श्री काशीराम कुशवाह,
87 कान्ती नगर, तानसेन रोड,
ग्वालियर (म.प्र.).

(987-बी.)

नाम परिवर्तन

मैं, अनुष्का भदौरिया पुत्री स्व. श्री हरनाम सिंह भदौरिया सर्व-साधारण को सूचित करती हूं कि मेरा बचपन का बोलता नाम पलक भदौरिया है जो मेरी बीमा पॉलिसी क्रमांक 200235728, 202366854 एवं अन्य प्रपत्रों में अंकित है जबकि मैं वर्तमान में अनुष्का भदौरिया पुत्री स्व. श्री हरनाम सिंह भदौरिया के नाम से जानी, पहचानी एवं पुकारी जाती हूँ. भविष्य भी में इसी नाम अनुष्का भदौरिया के नाम से जानी, पहचानी एवं पुकारी जाऊंगी. अत: मेरी बीमा पॉलिसी क्रमांक 200235728, 202366854 एवं अन्य प्रपत्रों में मेरा नाम पलक भदौरिया के स्थान पर अनुष्का भदौरिया लिखा एवं पढ़ा जाये. आमजन एवं सर्वजन सूचित हों.

पुराना नाम :

(पलक भदौरिया)

नया नाम :

(अनुष्का भदौरिया)
पुत्री-स्व. श्री हरनाम सिंह भदौरिया,
पता-गली न.05, शिव कॉलोनी,
गुढ़ा लश्कर, ग्वालियर (म.प्र.).

(988-बी.)

CHANGE OF NAME

I, Vijay Kumar Khetrapal Executive Engineer (Civil) B.S.N.L. (HRMS No.198701680, Staff No. 90936) S/o Shri Ved Prakash Khetrapal intimated that in service records my name is Vijay Khetrapal S/o Shri Ved Prakash, but my full name is Vijay Kumar Khetrapal. From today I must be known by my full name of Vijay Kumar Khetrapal S/o Shri Ved Prakash Khetrapal for all concern.

Old Name :
(VIJAY KHETRAPAL)

New Name :
(VIJAY KUMAR KHETRAPAL)
Address—81, Vikas Kunj Colony,
E-8 Bawadia Kalan Bhopal (M.P.).

(995-B.)

नाम परिवर्तन

मैं, किशन कुशवाह (Kishan Kushwah) पुत्र स्व. श्री गणेशराम कुशवाह सर्व-साधारण को सूचित करता हूँ. मेरा बोलता नाम किशन सिंह (Kishan Singh) था जो मेरी बी.एस.एन.एल. विभाग के सर्विस बुक में मेरा नाम किशन सिंह अंकित हो गया है, जबकि मेरे शासकीय प्रपत्रों जैसे पैनकार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक इत्यादि में मेरा नाम किशन कुशवाह अंकित है एवं वर्तमान में मुझे किशन कुशवाह के नाम से जाना, पहचाना एवं पुकारा जाता हूँ तथा भविष्य में भी मैं इसी नाम किशन कुशवाह के नाम से जाना, पहचाना एवं पुकारा जाऊंगा.

अत: मेरे बी.एस.एन.एल. विभाग के सर्विस बुक में मेरा सही नाम किशन कुशवाह अंकित किया जाए. सर्वजन एवं आमजन सूचित हों.

पुराना नाम :
(किशन सिंह)

नया नाम :
(किशन कुशवाह)
पुत्र-श्री गणेशराम कुशवाह,
निवासी—गल्ला मण्डी के पीछे, लक्ष्मीगंज,
ग्वालियर (म.प्र.).

(996-बी.)

आम सूचना

(भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 की धारा-72 के तहत्)

भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 की धारा-61(1) के अधीन यह सूचना दी जाती है कि साझेदारी फर्म का नाम श्री महावरी फेब्रीकेटरस 17/1 साउथ तुकोगंज, इन्दौर पंजीयन क्रमांक 03/27/01/00223/15 सन् 2015-16 की रचना में निम्नलिखित परिवर्तन किया गया है.

शेष भागीदारों के नाम व पता	फर्म से निकलने वाले भागीदार का नाम व पता
1. श्री प्रदीप श्रीवास, 57, सार्थक रेसीडेन्सी, लिंबोदी, इन्दौर म.प्र. 2. श्री राधेश्याम श्रीवास 57, सार्थक रेसीडेन्सी, लिंबोदी, इन्दौर म.प्र.	1. श्री सुशील कुमार अग्रवाल, 17/1, साउथ तुकोगंज, इन्दौर म.प्र.

फर्म का नया पता-57, सार्थक रेसीडेन्सी, लिंबोदी,
इन्दौर (म.प्र.).

For-Shri Mahavir Fabricators,
प्रदीप श्रीवास,
(Partner).

(989-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि हमारी फर्म स्टार मोटर्स सतना जो कि पार्टनरशिप फर्म है. जिसमें कार्यरत श्री रमेश सिंह एच.यू.एफ. दिनांक 01 अप्रैल, 2019 से अवकाश प्राप्त कर चुके हैं एवं उनके स्थान पर श्री रमेश सिंह पार्टनर की हैसियत से उक्त फर्म में सम्मिलित किए जा रहे हैं.

वास्ते-स्टार मोटर्स,
रमेश सिंह,
(पार्टनर).

(990-बी.)

आम सूचना

आम जनता को सूचित किया जाता है कि फर्म मैसर्स माँ अष्टभुजा ट्रेडर्स के साझेदार श्री देवेंद्र कुमार राय तनय श्री राम प्रसाद राय, श्री राकेश कुमार जायसवाल तनय श्री लल्लू लाल जायसवाल, श्री फूलचंद जायसवाल श्री सोमेश्वर प्रसाद जायसवाल, मैसर्स माँ अष्टभुजा ट्रेडर्स का संचालन करते हैं तथा उक्त फर्म में दिनांक 01 अप्रैल, 2019 से श्री फूलचंद जायसवाल तनय श्री सोमेश्वर जायसवाल अधिकृत रूप से

साझेदार नहीं कहलाएंगे. अतः उक्त दिनांक के पश्चात् से कोई भी वसूली दावा इत्यादि यदि मैसर्स अष्टभुजा ट्रेडर्स के विरुद्ध लाया जाता है तब उसमें साझेदार श्री फूलचंद जायसवाल के विरुद्ध कोई भी कानूनी कार्यवाही बाध्य नहीं होगी. उक्त साझेदार के स्थान पर श्री कमलेश कुमार जायसवाल तनय श्री रामाश्रय जायसवाल दिनांक 01-04-2019 अधिकृत रूप से साझेदार कहलाए जाएंगे उक्त दिनांक के पहले कोई भी वसूली दावा इत्यादि यदि मैसर्स अष्टभुजा ट्रेडर्स के विरुद्ध लाया जाता है तब उसमें श्री कमलेश कुमार जायसवाल के विरुद्ध कोई भी कानूनी कार्यवाही बाध्य नहीं होगी, यदि किसी पंजीकृत कम्पनी, संस्था, बैंक, व्यक्ति या निगम को कोई आपत्ति है तो वह 07 दिवस के भीतर 128/3, पंडित जवाहर नेहरू वार्ड, वार्ड नम्बर 11, तेंदूखेड़ा, जिला दमोह स्थित पंजीकृत कार्यालय में लिखित आपत्ति दर्ज करा सकते हैं.

द्वारा-
1. देवेन्द्र कुमार राय,
2. राकेश कुमार जायसवाल,
3. कमलेश कुमार जायसवाल,
(साझेदार).

(991-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मैसर्स YASH PETEQUIP जो कि प्लॉट नं. 12 सेक्टर (जी) जे के रोड़ ईण्डस्ट्रीयल एरिया गोविंदपुरा, भोपाल में स्थित है. जिसका पंजीयन क्रमांक 01/01/01/0111/19, दिनांक 18-06-2019 है. जिसमें दिनांक 14-12-2019 को राकेश मलिक पुत्र स्व. श्री जे. पी. मलिक, निवासी ई 4/40 अरेरा कॉलोनी, भोपाल फर्म में नवीन भागीदार के रूप में सम्मिलित हो रहे हैं. आमजन एवं सर्वजन सूचित हों.

फर्म-मैसर्स यश पेटेक्यूप,
रमेश चंद बचानी,
(भागीदार)
पता-प्लॉट नं. 12 सेक्टर (जी)
जे के रोड़, ईण्डस्ट्रीयल एरिया गोविंदपुरा, भोपाल.

(992-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मैसर्स श्री राम कंस्ट्रक्शन कम्पनी स्थित ईएच 7, डीडी नगर, ग्वालियर म.प्र. जिसका पंजीयन क्रमांक 02/42/01/00066/14, दिनांक 01-07-2014 है. जिसमें दिनांक 01-04-2018 को भागीदार (1) श्री भूपेन्द्र तोमर पुत्र रामेश्वर सिंह तोमर, (2) भूपेन्द्र सिंह सिकरवार पुत्र मोहर सिंह सिकरवार, (3) सुदीप सिंह तोमर पुत्र भोलेसिंह तोमर, (4) राधेसिंह तोमर पुत्र जगन्नाथ सिंह तोमर अपनी स्वेच्छा से फर्म से पृथक् हो गए हैं. सर्वजन एवं आमजन सूचित हों.

फर्म-मैसर्स श्री राम कंस्ट्रक्शन कम्पनी,
राधे सिंह तोमर,
(Partner).
पता-ईएच 7, डीडी नगर, ग्वालियर (म.प्र.).

(997-बी.)

जाहिर सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी फर्म मैसर्स श्रीराम मिनरल्स, 401, कुटुम्ब अपार्टमेन्ट, फेश-1, बलबन्त नगर, ठाटीपुर, ग्वालियर (म.प्र.) जिसका पंजीयन क्रमांक 02/42/01/0156/17 सन् 2017-18, दिनांक 08-09-2017 है, फर्म से सभी साझेदारों द्वारा श्री मनोहर लाल भल्ला पुत्र स्व. श्री जीवन दास भल्ला, निवासी फ्रूट मार्केट, छत्री बाजार, लश्कर, ग्वालियर, श्री अमरनाथ शर्मा पुत्र स्व. श्री छोटे लाल शर्मा, निवासी 46, शान्ति विहार, दर्पण कॉलोनी के पास, ठाटीपुर, ग्वालियर (म.प्र.) श्री जयदेव शर्मा पुत्र श्री राम निवास शर्मा, निवासी-ई-25, न्यू विवेकानन्द कॉलोनी, ठाटीपुर, ग्वालियर (म.प्र.) एवं श्री कपिल भल्ला पुत्र श्री मनोहर लाल भल्ला, निवासी फ्रूट मार्केट, छत्री बाजार, लश्कर, ग्वालियर (म.प्र.) ने अपनी आपसी सहमति बिना किसी दबाव में दिनांक 16 नवम्बर, 2019 से फर्म को विघटन/भंग कर दिया है. आमजन एवं सर्वजन सूचित हों.

मेसर्स श्रीराम मिनरल्स,
मनोहर लाल भल्ला, कपिल भल्ला,
(भागीदार)
401, कुटुम्ब अपार्टमेन्ट, फेश-1,
बलबन्त नगर, ठाटीपुर, ग्वालियर (म.प्र.).

(998-बी.)

आम सूचना

सर्वजन एवं आमजन को सूचित किया जाता है कि भागीदारी फर्म मेसर्स सागर लीला बिल्डकॉन जिसका पंजीयन क्रमांक 03/27/01/00072/12 व पंजीयन दिनांक 12-06-2012 है तथा फर्म का पंजीकृत पता यु. जी. 22-25 बी. सी. एम. हाईटस पी. यु. 4 प्लॉट नं. A5, स्कीम नं. 54 इंदौर है. जिसमें पंजीयन के समय दो भागीदार 1. श्री भगवान जायसवाल पिता श्री तेजनारायण जायसवाल, 2. श्री किशोर कुमार सचदेव पिता श्री परसराम सचदेव थे. दिनांक 01-07-2012 को फर्म में एक नए भागीदार श्री सरवन कुमार बांगेजा पिता श्री मणिकमल बांगेजा ने फर्म में साझेदार होने की इच्छा प्रकट की जिसे फर्म के दोनों भागीदारों ने स्वीकार कर लिया. इसी प्रकार दिनांक 21-08-2019 को फर्म में एक नई भागीदार श्रीमती शालिनी जायसवाल पति भगवान जायसवाल ने साझेदार होने की इच्छा प्रकट की जिसे फर्म के तीनों भागीदारों ने स्वीकार कर लिया इसके साथ ही फर्म का मुख्य पता बदलकर 501, शगुन आर्केड रशोमा, चौराहा विजय नगर, इन्दौर किया गया तथा वर्तमान में फर्म में 4 भागीदार इस प्रकार हैं-

(1) श्री भगवान जायसवाल पिता श्री तेजनारायण जायसवाल, (2) श्री किशोर सचदेव पिता श्री परसराम सचदेव,
(3) श्री सरवन कुमार बांगेजा पिता श्री मणिकमल बांगेजा, (4) श्रीमती शालिनी जायसवाल पति भगवान जायसवाल.
जो आमजन व सर्वजन सूचित हो.

फर्म-मैसर्स सागर लीला बिल्डकॉन,
सरवन कुमार बांगेजा,
(भागीदार)
पता-फ्लेट नं. 301, वल्लभ पैराडाइस,
प्लॉट नं. 389 A खातीवाला टैंक, इन्दौर (म.प्र.).

(999-बी.)

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय पंजीयक, सार्वजनिक लोक न्यास, बुरहानपुर

प्र.क्र. बी/113/2018-19. [नियम-5(1) देखिये]

[मध्यप्रदेश सार्वजनिक लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-4 के अन्तर्गत]

एतद्द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि लोक न्यास के पंजीयक बुरहानपुर, जिला बुरहानपुर के समक्ष यह कि आवेदक श्री पातालेश्वर महादेव मंदिर ट्रस्ट बुरहानपुर, तहसील व जिला बुरहानपुर द्वारा अध्यक्ष श्री दत्तू पिता शंकर महाजन, निवासी ग्राम तुरकगुराडा, तहसील एवं जिला बुरहानपुर का लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-4 के अन्तर्गत अनुसूची में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति के लिये ''लोक न्यास '' के रूप में पंजीकृत किये जाने के लिये आवेदन किया है. एतद् द्वारा सूचना-पत्र दिया जाता है कि कथित आवेदन-पत्र दिनांक 09 दिसम्बर, 2019 को मेरे न्यायालय में विचार में लिया गया है.

किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुए कथित न्यास या सम्पत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिये और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिये. उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों पर विचार में नहीं लिया जावेगा.

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता व संपत्ति का विवरण)

1. लोक न्यास का नाम	:	श्री पातालेश्वर महादेव मंदिर ट्रस्ट बुरहानपुर, तहसील व जिला बुरहानपुर.
2. वर्किंग ट्रस्टी एवं अध्यक्ष	:	श्री दत्तू पिता शंकर महाजन, निवासी ग्राम तुरकगुराडा, जिला बुरहानपुर.
3. चल सम्पत्ति	:	निरंक.
4. अचल सम्पत्ति	:	निरंक.

जारी दिनांक 24-12-2019

के. आर. बडोले,
पंजीयक.

(22)

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, तहसील कोलार, जिला-भोपाल

प्र.क्र.01/बी-113/2019-20.

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1951 की धारा-5(1) पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1952 के नियम-5 (1) के अन्तर्गत]

जैसा कि ''कालिका सरस्वती चेरिटेबल ट्रस्ट'' द्वारा श्री जी. पी. श्रीवास्तव, निवासी भोपाल की ओर से मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम 1951 की धारा-4 के अन्तर्गत अनुसूची में दर्शाई गई सम्पत्ति के पब्लिक ट्रस्ट के रूप में पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है.

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन मेरे न्यायालय में मेरे द्वारा 22 नवम्बर, 2019 को विचार में लिया जावेगा. कोई भी व्यक्ति जो उक्त ट्रस्ट में या सम्पत्ति में हित रखता हो या कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहता हो, लिखित में दो प्रतियों में इस सूचना के प्रकाशन के '' एक माह '' के भीतर प्रस्तुत करें अथवा उक्त दिनांक को मेरे समक्ष स्वयं अथवा अभिभाषक के माध्यम से या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होकर अपनी लिखित आपत्तियॉ प्रस्तुत कर सकता है. उपर्युक्त अवधि समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

1. ट्रस्ट का नाम व पता	:	''कालिका सरस्वती चेरिटेबल ट्रस्ट'' द्वारा श्री जी. पी. श्रीवास्तव, निवासी भोपाल, पता-10, अरण्य इन्क्लेव, बागमुगालिया, भोपाल.
2. चल सम्पत्ति	:	1,61,36,256/- की फिक्स डिपोजिट राशि. (अलग-अलग 08 एफ.डी.) एवं बचत खाता आई. एफ. एस. कोड एसबीआईएन0001308 राशि रुपये 9,18,0003/- ब्याज सहित.
3. अचल सम्पत्ति	:	निरंक.

आज दिनांक 22 नवम्बर, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी किया गया.

राजेश गुप्ता,
रजिस्ट्रार.

(23)

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, लोक न्यास, नीमच, जिला नीमच

दिनांक 17 दिसम्बर, 2019

प्रारूप-चार

[नियम-5 (1) देखिये]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-5 उपधारा-2 और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 का नियम-5 (1) देखिए]

चूंकि श्री किशोर पिता जानकीलाल चौहान, निवासी 72, जवाहर नगर, नीमच द्वारा मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-4 अधीन अनुसूची में लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की गई सम्पत्ति के पंजीयन के लिए आवेदन किया गया है.

एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 21 जनवरी, 2020 को विचार के लिये लिया जावेगा.

कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या सम्पत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में कोई आपत्तियां करने या सुझाव देने का विचार रखता हो उसे इस विज्ञप्ति के द्वारा सूचना दी जाती है.

अत: मैं, एस. एल. शाक्य, पंजीयक, लोक न्यास, नीमच मध्यप्रदेश का लोक न्यासों का पंजीयक अपने न्यायालय में दिनांक 21 जनवरी, 2020 को उक्त अधिनियम की धारा-5 की उपधारा (1) के द्वारा तथा अपेक्षित जांच प्रस्तावित करता हूँ.

अत: एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या सम्पत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी या उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति का सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक मास के अंदर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना और न्यायालय के समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिश: या अभिभाषक या अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिए ग्रहण नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

लोक न्यास का नाम व पता	:	"लखेरा समाज ट्रस्ट '' श्री चैनामाता कुशलामाता मंदिर लखेरा समाज परिसर, स्कीम नंबर 9 नीमचकेंट.
लोक न्यास की सम्पत्ति का विवरण-		
अचल सम्पत्ति	:	निरंक.
चल सम्पत्ति	:	रु. 5,000/. (अक्षरी रुपये पांच हजार मात्र)

(25)

दिनांक 17 दिसम्बर, 2019

प्रारूप-चार

[नियम-5 (1) देखिये]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-5 उपधारा-2 और
मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 का नियम-5 (1) देखिए]

चूंकि श्री नंदराम पिता घासी माली, निवासी चीताखेडा द्वारा मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-4 अधीन अनुसूची में लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की गई सम्पत्ति के पंजीयन के लिए आवेदन किया गया है.

एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 21 जनवरी, 2020 को विचार के लिये लिया जावेगा.

कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या सम्पत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में कोई आपत्तियां करने या सुझाव देने का विचार रखता हो उसे इस विज्ञप्ति के द्वारा सूचना दी जाती है.

अत: मैं, एस. एल. शाक्य, पंजीयक, लोक न्यास, नीमच मध्यप्रदेश का लोक न्यासों का पंजीयक अपने न्यायालय में दिनांक 21 जनवरी, 2020 को उक्त अधिनियम की धारा-5 की उपधारा (1) के द्वारा तथा अपेक्षित जांच प्रस्तावित करता हूँ.

अत: एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या सम्पत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी या उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति का सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक मास के अंदर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना और न्यायालय के समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिश: या अभिभाषक या अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिए ग्रहण नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

(लोक न्यास की सम्पत्ति का विवरण)

लोक न्यास का नाम व पता	:	"ज्योतिबा फुले माली समाज ट्रस्ट '' चीताखेडा, तहसील जीरन.
लोक न्यास की सम्पत्ति का विवरण-		
अचल सम्पत्ति	:	निरंक.
चल सम्पत्ति	:	रु. 5,000/. (अक्षरी रुपये पांच हजार मात्र)

(26)

दिनांक 17 दिसम्बर, 2019

प्रारूप-चार

[नियम 5 (1) देखिये]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-5 उपधारा-2 और
मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 का नियम-5 (1) देखिए]

चूंकि श्री सत्येन्द्रसिंह पिता महेन्द्रसिंह राठौर, निवासी इन्दिरानगर, नीमच द्वारा मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-4 अधीन अनुसूची में लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की गई सम्पत्ति के पंजीयन के लिए आवेदन किया गया है.

एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 21 जनवरी, 2020 को विचार के लिये लिया जावेगा.

कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या सम्पत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में कोई आपत्तियां करने या सुझाव देने का विचार रखता हो उसे इस विज्ञप्ति के द्वारा सूचना दी जाती है.

अत: मैं, एस. एल. शाक्य, पंजीयक, लोक न्यास, नीमच मध्यप्रदेश का लोक न्यासों का पंजीयन अपने न्यायालय में दिनांक 21 जनवरी, 2020 को उक्त अधिनियम की धारा-5 की उपधारा (1) के द्वारा तथा अपेक्षित जांच प्रस्तावित करता हूँ.

अत: एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या सम्पत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी या उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति का सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक मास के अंदर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना और न्यायालय के समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिश: या अभिभाषक या अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिए ग्रहण नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

(लोक न्यास की सम्पत्ति का विवरण)

लोक न्यास का नाम व पता	:	''श्री राजपूत समाज सेवा ट्रस्ट नीमच'' एल-116, इन्दरानगर, वार्ड नंबर 6, विवेकानंद चौक, चारभुजा मंदिर के पास, नीमच.
लोक न्यास की सम्पत्ति का विवरण-		
अचल सम्पत्ति	:	ग्राम भादवामाता सर्वे नंबर 281/मी.4/मीन 1 रकबा 0.089 व खसरा नबर 281/मी.4/मीन-25 रकबा 0.060 हे. में से रकबा 0.025 हे. या 2622 व.फी. 281/मी.3/मीन 2 रकबा 1.09 हे. मेंसे रकबा 0.009 हे. कुल रकबा 0.123 हे. या 13200 व. फी.
चल सम्पत्ति	:	रु. 656323/- (अक्षरी रुपये छः लाख, छप्पन हजार तीन सौ तेईस मात्र).

एस. एल. शाक्य,

(27) पंजीयक एवं अनुविभागीय अधिकारी.

न्यायालय, पंजीयन, लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी, उज्जैन

प्र.क्र.0002/बी-113/19-20.

प्रारूप-चार

[नियम-5(1) देखिये]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1959 (1951 का 30) की धारा-5-की उपधारा (2)

मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम-1962 का नियम-5(1) देखिए]

पंजीयक,
लोक न्यास, उज्जैन,
जिला उज्जैन के **समक्ष.**

चूंकि आवेदक वैद्य पंडित अजय कुमार पिता स्व. श्री पं. गजानंद सावेरकर द्वारा "श्री परशुराम सेवा शिक्षा संस्कार न्यास उज्जैन", पता-17, अंकपात मार्ग बड़ा तेलीवाड़ा उज्जैन ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-4 के अधीन अनुसूची में लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की संपत्ति के पंजीयन के लिये आवेदन किया है. एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 17 जनवरी, 2020 को प्रातः 11:00 बजे स्थान कोठी पैलेस, उज्जैन का विचार के लिए लिया जावेगा.

कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या सम्पत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में की आपत्तियां करने या सुझाव देने का विचार रखता हो उसे इस सूचना लोक न्यास है और उसका गठन करती है.

अतः मैं, पंजीयक लोक न्यास एवं डिप्टी कलेक्टर, उज्जैन, जिला उज्जैन का लोक न्यासों का पंजीयक अपने न्यायालय में दिनांक 17 जनवरी, 2020 को उक्त अधिनियम की धारा-5 की उपधारा(1) के द्वारा तथा अपेक्षित जांच करना प्रस्तावित करता हूँ.

अतः एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या सम्पत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी या उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति का सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करता और कोर्ट में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिशः या अभिभाषक या अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिए ग्राह्य नहीं किया जाएगा.

अनुसूची

(लोक न्यास की सम्पत्ति का वर्णन, लोक न्यास का नाम और पता)

न्यास का नाम	:	"श्री परशुराम सेवा शिक्षा संस्कार न्यास उज्जैन"
कार्यालय	:	17, अंकपात मार्ग बड़ा तेलीवाड़ा उज्जैन.
अचल सम्पत्ति	:	निरंक.
चल सम्पत्ति	:	चल सम्पत्ति के रूप में आय.डी.बी.आय. बैंक में 11,000/- रुपये जमा.

राकेश मोहन त्रिपाठी,

(80) पंजीयक एवं डिप्टी कलेक्टर.

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट (शहर) रतलाम

क्र./बी-113(1)/2019-20. रतलाम, दिनांक 31 दिसम्बर, 2019

(फार्म-4)

[नियम-5 (1) देखिए]

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 की धारा-4 (2) के तहत्]

क्र.1460/आर-3/19.—आवेदक मु. ताहिर अली समोसा वाला (मैनेजर) दाउदी बोहरा जमात ट्रस्ट, नजमी मोहल्ला, रतलाम के द्वारा मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-4 के अन्तर्गत "दाउदी बोहरा जमात ट्रस्ट, नजमी मोहल्ला, रतलाम'' के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है, जिसकी सुनवाई दिनांक 15 जनवरी, 2020 को की जावेगी.

2. अतएव जिस किसी भी व्यक्ति को ट्रस्ट या उसकी सम्पत्ति के प्रति रुचि हो, प्रकरण में नियत दिनांक 15 जनवरी, 2020 को इस न्यायालय में अपने लिखित वक्तव्य की प्रतियां प्रस्तुत करें और स्वयं या अपने अधिवक्ता अथवा एजेन्ट के द्वारा प्रातः 11 बजे नियत दिनांक को उपस्थित रहें. नियत दिनांक के उपरांत प्रस्तुत आवेदन-पत्र पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम, पता तथा सम्पत्ति का विवरण)

न्यासी का पूरा नाम	:	"दाउदी बोहरा जमात ट्रस्ट, नजमी मोहल्ला, रतलाम",
पता	:	बोहरा मस्जिद, नजमी मोहल्ला रतलाम, जिला रतलाम.
अचल सम्पत्ति	:	निरंक
चल सम्पत्ति	:	रुपये 12,000/- मात्र.

लक्ष्मी गामड,

(28) रजिस्ट्रार.

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कसरावद जिला खरगोन

प्र.क्र.03/बी-113/2019-20.

प्रारूप-4

[नियम-5 (1) देखिये]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास 1951 (1951 का 30) की धारा-5 की उपधारा (2) और मध्यप्रदेश लोक न्यास 1962 का नियम-5(1) के देखिये]

पंजीयक लोक न्यास, खरगौन जिले के समक्षः-

चूंकि आवेदक संतोष पिता गेंदालाल यादव मुख्य ट्रस्टी/अध्यक्ष 2. रामकरण पिता मोतीराम यादव उपाध्यक्ष, 3. शेरू पिता नरसिंग यादव सदस्य, 4. दिलीप पिता पंढरी यादव सचिव, 5. शेरू पिता धन्नालाल यादव सदस्य, 6. सुखदेव पिता आनंदराम यादव सदस्य, 7. शेलेष पिता दशरथ यादव सदस्य सभी निवासी कठोरा, तहसील कसरावद, जिला खरगौन द्वारा "संत श्री नानकदास स्मृति विकास कल्याण ट्रस्ट कठोरा" ग्राम कठोरा, तहसील कसरावद, जिला खरगौन (मध्यप्रदेश) मध्यप्रदेश लोक न्यास 1951 (1951 का 30) की धारा-4 के अधीन अनुसूची में लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की गयी सम्पत्ति के पंजीयन के लिये आवेदन प्रस्तुत किया है.

कोई व्यक्ति जो उक्त न्याय या सम्पत्ति में हित रखता है तो उसके बारे में की गई आपत्तियों या सुझाव देने का विचार रखता हो तो इस सूचना के द्वारा सूचित किया जाता है कि "संत श्री नानकदास स्मृति विकास कल्याण ट्रस्ट कठोरा, जिला खरगौन, मध्यप्रदेश" कसरावद सेवा संस्थान ट्रस्ट एक लोक न्यास है और उसका गठन करती है.

अतः मैं, पंजीयक, लोक न्यास, जिला खरगौन का लोक न्यासों का पंजीयन अपने न्यायालय में नियत दिनांक को उक्त अधिनियम की धारा-5 की उपधारा (1) के द्वारा तथा अपेक्षित जांच करना प्रस्थापित करता हूँ.

अतः एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या सम्पत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी या उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति का सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से 1 माह (एक माह) के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करता है और कोर्ट में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिशः या अभिभाषक या अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिये. उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिये ग्रहण नहीं किया जाएगा.

नेहा शिवहारे,

(81) अनुविभागीय अधिकारी (राज.).

अन्य सूचनाएं

कार्यालय परिसमापक जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्या, धार

धार, दिनांक 03 जनवरी, 2020

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के उपनियम-57(1)(सी/ग) के अंतर्गत]

क्र./भू.वि.बैं./2020/259.—जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्या., धार, जिला धार मध्यप्रदेश जिसका पंजीयन क्रमांक/डी.एच.आर./एच.ओ./64, दिनांक 13 नवम्बर, 1961 है को संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, इन्दौर, संभाग इन्दौर मध्यप्रदेश के आदेश क्रमांक/साख/2016/324, इन्दौर, दिनांक 01 मार्च, 2016 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70(1) के अंतर्गत उपायुक्त सहकारिता, जिला धार को परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1960 के नियम क्रमांक-57(सी/ग) के अंतर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना प्रकाशन के दिनांक से 02 माह के अंदर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखितरूप में प्रस्तुत कर सकते हैं. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि 02 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे. दिनांक 31 मार्च, 2019 की स्थिति पर शेष रही देनदारियों एवं लेनदारियों का संलग्न परिशिष्ट-01 अनुसार प्रकाशन किया जाता है.

बैंक की प्रमुख देनदारियों एवं लेनदारियों को दिनांक 31 मार्च, 2019 की स्थिति पर विवरण

क्र.	देनदारियां	राशि	क्र.	लेनदारियां	राशि
	अंशपूंजी-			नगद सिल्लक एवं बैंक शेष-	
1.	सदस्य	13857223.00	1.	नगदी	8496.00
	शासन	8569800.00		बैंक	785498.82
2.	रिजर्व फंड एवं निधियां	366886491.33		समयोजन शीर्ष बैंक	6054757.25
3.	अमानत सदस्य	804507.65	2.	विनियोजन शीर्ष बैंक	9764345.00
4.	भविष्य निधि	14928.00	3.	कर्मचारी अग्रीम	2775906.00
	शीर्ष बैंक देना-			सदस्यों से लेना-	
	ऋण	318674157.50	4.	ऋण	137679683.30
5.	ब्याज	244864869.74		ब्याज	273259371.00
	दण्ड ब्याज	33846067.00	5.	डेड स्टॉक	78780.55
	प्रबंधकीय व्यय प्रतिपूर्ति	5567322.50	6.	भूमि एवं भवन	358337.00
6.	अनुदान	1459243.02	7.	अन्य लेनदारी	14354649.22
7.	भवन किराया	537180.00	8.	हानि खाता	559133745.32
	अन्य देनदारियां-				
	अंकेक्षण शुल्क	580000.00			
	देय दायित्व	1102972.76			
8.	कर्मचारी साख समिति	215091.00			
	ग्रेच्यूटी कर्मचारी	6419306.00			
	अन्य	854409.96			
	योग:-	**1004253569.46**		**योग:-**	**1004253569.46**

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 03 जनवरी, 2020 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

कमलसिंह गार्डे,
मुख्य कार्यपालन अधिकारी.

भारती शेखावत,
परिसमापक एवं उप-आयुक्त सहकारिता.

(29)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला सीहोर

सीहोर, दिनांक 23 दिसम्बर, 2019

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18(1) के अन्तर्गत]

इस कार्यालय का आदेश क्र/परिसमापन/2016/539, सीहोर, दिनांक 06 जून, 2016 के द्वारा श्री आर. के. रायचूर, सहकारी निरीक्षक, दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., टांडा, तहसील आष्टा, जिला सीहोर पंजीयन क्रं.1036, दिनांक 19 जुलाई, 1994 जो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री आर. के. रायचूर, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है. जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त की अनुशंसा की गई है. परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला सीहोर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा-18(1) एवं मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग भोपाल के आदेश क्र. एफ 5-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 29-07-1999 के प्रदत्त रजिस्ट्रार शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., वनखेडा, तहसील आष्टा, जिला सीहोर पंजीयन क्र.1036, दिनांक 19 जुलाई, 1994 संस्था का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 23 दिसम्बर, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

भूपेन्द्र प्रताप सिंह,
उप-पंजीयक.

(30)

कार्यालय उपायुक्त सहकारिता, एवं उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, शहडोल

शहडोल, दिनांक 24 दिसम्बर, 2019

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2019/877.—जिले में स्थित गंगोत्री दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, रिमार पंजीयन क्रमांक 1149, दिनांक 04 अगस्त, 2015 के अकार्यशील हो जाने से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-69 के तहत् परिसमापित किया गया. उक्त अधिनियम की धारा-70 के तहत् नियुक्त परिसमापक के द्वारा परिसमापित संस्था की देनदारी-लेनदारी का निपटारा किया जाकर संस्था के सदस्यों की आम सभा में सदस्यों के मत प्राप्त किये जाकर निरंक स्थिति विवरण पत्रक सहित अंतिम प्रतिवेदन इस कार्यालय को प्रस्तुत किया गया है.

परिसमापित संस्था की लेनदारी-देनदारी का निपटारा हो जाने तथा अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत हो जाने से संस्था अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है.

अत: मैं शकुन्तला ठाकुर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, शहडोल को सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ/05-01-99/पंद्रह-एक-डी दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा-18(1) के तहत् गंगोत्री दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, रिमार पंजीयन क्रमांक 1149, दिनांक 04 अगस्त, 2015 का पंजीयन निरस्त करती हूं. यह भी आदेश देती हूं कि यह संस्था इस आदेश दिनांक से विघटित समझी जावेगी और निगमित निकाय (कारपोट बॉडी) के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 24 दिसम्बर, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(31)

शहडोल, दिनांक 06 दिसम्बर, 2019

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2019/778.—जिले में स्थित गोडवाना दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, चंदोरा पंजीयन क्रमांक 1154, दिनांक 27 अगस्त, 2015 के अकार्यशील हो जाने से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के तहत् परिसमापित किया गया. उक्त अधिनियम की धारा-70 के तहत् नियुक्त परिसमापक के द्वारा परिसमापित संस्था की देनदारी-लेनदारी का निपटारा किया जाकर संस्था के सदस्यों की आम सभा में सदस्यों के मत प्राप्त किये जाकर निरंक स्थिति विवरण पत्रक सहित अंतिम प्रतिवेदन इस कार्यालय को प्रस्तुत किया गया है.

परिसमापित संस्था की लेनदारी-देनदारी का निपटारा हो जाने तथा अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत हो जाने से संस्था अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है.

अत: मैं शकुन्तला ठाकुर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, शहडोल को सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ/05-01-99/पंद्रह-एक-डी दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा-18(1) के तहत् गोपाल गोडवान दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, चंदोरा पंजीयन क्रमांक 1154, दिनांक 27 अगस्त, 2015 का पंजीयन निरस्त करती हूं. यह भी आदेश देती हूं कि यह संस्था इस आदेश दिनांक से विघटित समझी जावेगी और निगमित निकाय (कारपोट बॉडी) के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 05 दिसम्बर, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(32)

शहडोल, दिनांक 24 दिसम्बर, 2019

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2019/878.—जिले में स्थित जय लक्ष्मी माँ दुग्ध उत्पादक सह. समिति मर्या., मसियारी पंजीयन क्रमांक 1150, दिनांक 04 अगस्त, 2015 के अकार्यशील हो जाने से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा-69 के तहत् परिसमापित किया गया. उक्त अधिनियम की धारा-70 के तहत् नियुक्त परिसमापक के द्वारा परिसमापित संस्था की देनदारी-लेनदारी का निपटारा किया जाकर संस्था के सदस्यों की आम सभा में सदस्यों के मत प्राप्त किये जाकर निरंक स्थिति विवरण पत्रक सहित अंतिम प्रतिवेदन इस कार्यालय को प्रस्तुत किया गया है.

परिसमापित संस्था की लेनदारी-देनदारी का निपटारा हो जाने तथा अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत हो जाने से संस्था अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है.

अत: मैं शकुन्तला ठाकुर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, शहडोल को सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ/05-01-99/पंद्रह-एक-डी दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा-18(1) के तहत् जय लक्ष्मी माँ दुग्ध उत्पादक सह. समिति मर्या., मसियारी पंजीयन क्रमांक 1150, दिनांक 04 अगस्त, 2015 का पंजीयन निरस्त करती हूं. यह भी आदेश देती हूं कि यह संस्था इस आदेश दिनांक से विघटित समझी जावेगी और निगमित निकाय (कारपोट बॉडी) के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 24 दिसम्बर, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(33)

शहडोल, दिनांक 06 दिसम्बर, 2019

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2019/779.—जिले में स्थित गोपाल दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., कतिरा पंजीयन क्रमांक 1153, दिनांक 27 अगस्त, 2015 के अकार्यशील हो जाने से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा-69 के तहत् परिसमापित किया गया. उक्त अधिनियम की धारा-70 के तहत् नियुक्त परिसमापक के द्वारा परिसमापित संस्था की देनदारी-लेनदारी का निपटारा किया जाकर संस्था के सदस्यों की आम सभा में सदस्यों के मत प्राप्त किये जाकर निरंक स्थिति विवरण पत्रक सहित अंतिम प्रतिवेदन इस कार्यालय को प्रस्तुत किया गया है.

परिसमापित संस्था की लेनदारी-देनदारी का निपटारा हो जाने तथा अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत हो जाने से संस्था अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है.

अत: मैं शकुन्तला ठाकुर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, शहडोल को सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ/05-01-99/पंद्रह-एक-डी दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा-18(1) के तहत् गोपाल दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., कतिरा पंजीयन क्रमांक 1153, दिनांक 27 अगस्त, 2015 का पंजीयन निरस्त करती हूं. यह भी आदेश देती हूं कि यह संस्था इस आदेश दिनांक से विघटित समझी जावेगी और निगमित निकाय (कारपोट बॉडी) के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 05 दिसम्बर, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(34)

शहडोल, दिनांक 24 दिसम्बर, 2019

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2019/879.—जिले में स्थित श्री बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., पथखई पंजीयन क्रमांक 1088, दिनांक 29 मई, 2010

के अकार्यशील हो जाने से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा-69 के तहत् परिसमापित किया गया. उक्त अधि नियम की धारा-70 के तहत् नियुक्त परिसमापक के द्वारा परिसमापित संस्था की देनदारी-लेनदारी का निपटारा किया जाकर संस्था के सदस्यों की आम सभा में सदस्यों के मत प्राप्त किये जाकर निरंक स्थिति विवरण पत्रक सहित अंतिम प्रतिवेदन इस कार्यालय को प्रस्तुत किया गया है.

परिसमापित संस्था की लेनदारी-देनदारी का निपटारा हो जाने तथा अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत हो जाने से संस्था अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है.

अत: मैं शकुन्तला ठाकुर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, शहडोल को सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ/05-01-99/पंद्रह-एक-डी दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा-18(1) के तहत् श्री बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., पथखई पंजीयन क्रमांक 1088, दिनांक 29 मई, 2010 का पंजीयन निरस्त करती हूं. यह भी आदेश देती हूं कि यह संस्था इस आदेश दिनांक से विघटित समझी जावेगी और निगमित निकाय (कारपोट बॉडी) के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 24 दिसम्बर, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

शकुन्तला ठाकुर,
उपायुक्त सहकारिता.

(35)

कार्यालय सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, शहडोल

शहडोल, दिनांक 09 दिसम्बर, 2019

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (1)(सी/ग) के अंतर्गत]

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, शहडोल, जिला शहडोल के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत निम्न सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्रमांक	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापक नियुक्ति आदेश क्र./दिनांक
1.	शारदा दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., अटरिया	1159/30-11-2015	1404/04-12-2017
2.	दुर्गा दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., कनाडी कला	1168/30-11-2015	1397/04-12-2017

उक्त सहकारी संस्थाओं का पूर्व परिसमापक/अध्यक्ष/सचिव से मुझे किसी भी प्रकार का रिकार्ड, दस्तावेज आदि का प्रभार प्राप्त नहीं हुआ है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57(1) (सी/ग) के अन्तर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारी को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दो माह के अन्दर मय प्रमाण के मुझे लिखितरूप में प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में सदस्यगण/साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा मान्य नहीं किया जावेगा. संस्था के लेखापुस्तकों में लेखाबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे तथा संस्था के समस्त देनदारी/लेनदारी/आस्तियों का अन्तिम रूप से निराकरण मेरे द्वारा कर दिया जावेगा.

यह सूचना आज दिनांक 09 दिसम्बर, 2019 को मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई.

विजेश कुमार मन्नेवार,
वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक.

(36)

कार्यालय सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, शहडोल

शहडोल, दिनांक 15 जुलाई, 2019

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (1)(सी/ग) के अंतर्गत]

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, शहडोल, जिला शहडोल के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत निम्न सहकारी संस्था को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्रमांक	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापक नियुक्ति आदेश क्र./दिनांक
1	2	3	4
1.	धारा दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बोचरो	1138/28-02-2015	1393/04-12-2017

1	2	3	4
2.	कृष्ण दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., सरवाहीकला	1165/30-11-2015	1394/04-12-2017
3.	सरोवर महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., बराछ	977/15-11-1999	1379/30-11-2017
4.	अमरकंटक हर्बल बीज उत्पादक एवं विपणन सहकारी समिति, सोहागपुर.	1052/11-04-2007	616/25-06-2014

उक्त सहकारी संस्थाओं का पूर्व परिसमापक/अध्यक्ष/सचिव से मुझे किसी भी प्रकार का रिकार्ड, दस्तावेज आदि का प्रभार प्राप्त नहीं हुआ है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1960 के नियम-57(1) (सी/ग) के अन्तर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारी को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के 02 माह के अन्दर मय प्रभाव के मुझे लिखितरूप में प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में सदस्यगण/साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि 02 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा मान्य नहीं किया जावेगा. संस्था के लेखापुस्तकों में लेखाबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे तथा संस्था के समस्त देनदारी/लेनदारी/आस्तियों का अन्तिम रूप से निराकरण मेरे द्वारा कर दिया जावेगा.

यह सूचना आज दिनांक 15 जुलाई, 2019 को मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई.

ए. एल. गुप्ता,
सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक.

(37)

कार्यालय परिसमापक एवं वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, सहकारिता, जिला झाबुआ

झाबुआ, दिनांक 23 नवम्बर, 2019

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियॉ अधिनियम, 1960 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत]

क्र./परि./2019/01.—सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला झाबुआ के आदेश क्र./परि./2019/....., झाबुआ, दिनांक.....के अनुसार निम्न सहकारी समितियों का जिनके नाम व पंजीयन दिनांक व आदेश क्रमांक का उल्लेख किया गया है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-7 रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाऍं, जिला झाबुआ के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी समितियॉ अधिनियम 1960 की धारा-69 की अंतर्गत मुझे निम्नांकित समितियों का परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन का आदेश क्रमांक व दिनांक
1.	महिमा महिला गृह उद्योग, झाबुआ	987/04-11-2003	567/02-12-2013
2.	श्री राम ईंट उद्योग स. सं. बड़ासमेलिया	957/23-02-1999	567/02-12-2013
3.	दुग्ध उत्पादक स. सं. मर्या., गडुली	466/04-08-1980	476/18-07-2019
4.	दुग्ध उत्पादक स. सं. मर्या., ख्च्चरटोदी	463/04-08-1980	338/22-04-2017
5.	हरिजन बुनकर स. सं., पेटलावद	47/23-09-1959	414/23-12-2003
6.	जन कल्याण गृह निर्माण, झाबुआ	12/02-12-1959	305/16-04-2012

अत: मैं, ओ. पी. पवार, परिसमापक व वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला झाबुआ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत यह सूचना प्रसारित करता हूँ कि उपरोक्त संस्थाओं के संबंध में कोई दावा या आपत्ति या रिकार्ड हो तो इस सूचना-पत्र के जारी होने के दिनांक से 02 माह के अंदर मुझे कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, जिला झाबुआ में मय प्रमाण के लिखित में प्रस्तुत करें, उक्त समयावधि के पश्चात् प्राप्त दावे और आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा और संस्था के परिसमापन की वैध कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्त हेतु अंतिम प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत कर दिया जावेगा.

यह भी सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सहकारी संस्थाओं के पूर्व कर्मचारी/ सदस्यों/पदाधिकारियों के पास कोई रिकार्ड, परिसम्पत्ति या नगदी हो तो उसे भी उपरोक्त अवधि में मेरे पास जमा करावें. अन्यथा उनके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जावेगी.

ओ. पी. पवार,
परिसमापक एवं वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक.

(38)

कार्यालय परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, सहकारिता, जिला झाबुआ

झाबुआ, दिनांक 10 जनवरी, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियॉ अधिनियम, 1960 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत]

क्र./परि./2017/क्यू.—सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाऐं, जिला झाबुआ के आदेश क्र./परि./2017/439, झाबुआ, दिनांक 29 सितम्बर, 2015 के अनुसार निम्न सहकारी समितियों का जिनके नाम व पंजीयन दिनांक व आदेश क्रमांक का उल्लेख किया गया है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-7 रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएॅ, जिला झाबुआ के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी समितियॉ अधिनियम 1960 की धारा-69 की अंतर्गत मुझे निम्नांकित समितियों का परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन का आदेश क्रमांक व दिनांक
1.	शारदा बीज उत्पादक सह. संस्था, नरसिंहखण्ड़ा	1058/07-03-2010	439/29-09-2015
2.	किसान बीज उत्पादन सह. संस्था, खोखरखदान	1061/08-09-2010	439/29-09-2015
3.	बालाजी प्रा. ईंधन सह. सं. मर्या., झाबुआ	1002/07-06-2006	567/02-12-2013
4.	टिडार्ह माता बीज उत्पादक सह. संस्था, नागनवार	1046/13-10-2009	213/28/18-03-2014

अत: मैं, संजय सोलंकी, परिसमापक व सहकारी निरीक्षक, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला झाबुआ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत यह सूचना प्रसारित करता हूँ कि उपरोक्त संस्थाओं के संबंध में कोई दावा या आपत्ति या रिकार्ड हो तो इस सूचना-पत्र के जारी होने के दिनांक से 02 माह के अंदर मुझे कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, जिला झाबुआ में मय प्रमाण के लिखित में प्रस्तुत करें, उक्त समयावधि के पश्चात् प्राप्त दावे और आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा और संस्था के परिसमापन की वैध कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्त हेतु अंतिम प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत कर दिया जावेगा.

यह भी सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सहकारी संस्थाओं के पूर्व कर्मचारी/ सदस्यों/पदाधिकारियों के पास कोई रिकार्ड, परिसम्पत्ति या नगदी हो तो उसे भी उपरोक्त अवधि में मेरे पास जमा करावें. अन्यथा उनके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जावेगी.

संजय सोलंकी,
परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक.

(39)

कार्यालय उप-आयुक्त, सहकारिता, जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 12 दिसम्बर, 2019

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत]

प्रति,
अध्यक्ष/प्रबंधक
हरिजन साख सहकारी समिति मर्या.,
जबलपुर, पं. क्र. 603.

क्र./उआस/परि./2019/2089.—आपकी संस्था 'संसाधन वर्ग' के अंतर्गत पंजीकृत सहकारी साख संस्था है, जिसका मुख्य उद्देश्य अपने सदस्यों से अमानतें प्राप्त करना व ऋण प्रदान करना है. सहकारी निरीक्षक द्वारा किए गए निरीक्षण में प्रतिवेदित किया गया है कि संस्था साख का व्यवसाय न कर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत दुकान का संचालन कर रही है, जो उसके पंजीकृत उद्देश्यों में नहीं है. अत: मेरे द्वारा राय बनाई गई है कि-

(अ) संस्था अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है.

(ब) समिति ने सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के प्रावधानों का पालन करना बंद कर दिया है:-

(1) संस्था ने उपविधि में वर्णित प्रावधानों अनुसार संचालक मंडल की बैठकें आयोजित न कर अधिनियम की धारा 49(9) (ए) अनुसार कार्यवृत्त कार्यालय को नहीं भेजा.

(2) संस्था की उपविधि के अंतर्गत वित्तीय वर्ष समाप्ति के 3 माह तक अपने वित्तीय पत्रक तैयार कर जिलाधिकारी को प्रस्तुत नहीं किए.

(3) अधिनियम की धारा 49(1) अनुसार वार्षिक आमसभा का सूचना-पत्र कार्यालय को नहीं भेजा तथा धारा 49(9) (ए) अंतर्गत 30 दिवस के भीतर आमसभा का कार्यवृत्त कार्यालय को नहीं भेजा.

(4) अधिनियम की धारा 56 अनुसार संस्था ने उपविधि के प्रावधानानुसार विवरणियां निर्धारित समयावधि में कार्यालय को प्रेषित नहीं की.

(5) सहकारिता नियम 1962 के नियम 23 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष समाप्ति के पश्चात सूची का प्रकाशन नहीं किया.

(6) सहकारिता नियम 1962 के नियम 51 के अंतर्गत संस्था ने पक्के चिट्ठे का प्रकाशन कर कार्यालय को अवगत नहीं कराया.

उपरोक्त आधारों पर स्पष्ट है कि संस्था द्वारा सहकारिता अधिनियम/नियम/उपविधियों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है और वह अपने गठन के उद्देश्यों एवं सदस्यों के हित के संवर्धन में असफल हो गई है.

अत: मैं, शिवम मिश्रा, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, जबलपुर मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-2-2010/ पन्द्रह-1सी, भोपाल, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयुक्त कर कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करते हुए समिति को अवसर प्रदान करता हूँ कि उपरोक्त के संबंध में मय साक्ष्यों के दिनांक 27 दिसम्बर, 2019 तक उत्तर प्रस्तुत करें. उत्तर प्राप्त न होने पर अथवा प्राप्त उत्तर से सहमत न होने पर संस्था को परिसमापन में लाये जाने का आदेश पारित कर दिया जायेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 12 दिसम्बर, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा सहित जारी किया गया.

(40)

जबलपुर, दिनांक 12 दिसम्बर, 2019

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रबंधक

गांधी दर्शन साख सहकारी समिति मर्या.,

जबलपुर, पं. क्र. 606.

क्र./उआस/परि./2019/2090.—आपकी संस्था 'संसाधन वर्ग' के अंतर्गत पंजीकृत सहकारी साख संस्था है, जिसका मुख्य उद्देश्य अपने सदस्यों से अमानतें प्राप्त करना व ऋण प्रदान करना है. सहकारी निरीक्षक द्वारा किए गए निरीक्षण में प्रतिवेदित किया गया है कि संस्था साख का व्यवसाय न कर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत दुकान का संचालन कर रही है, जो उसके पंजीकृत उद्देश्यों में नहीं है. अत: मेरे द्वारा राय बनाई गई है कि-

(अ) संस्था अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है.

(ब) समिति ने सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के प्रावधानों का पालन करना बंद कर दिया है:-

(1) संस्था ने उपविधि में वर्णित प्रावधानों अनुसार संचालक मंडल की बैठकें आयोजित न कर अधिनियम की धारा 49(9) (ए) अनुसार कार्यवृत्त कार्यालय को नहीं भेजा.

(2) संस्था की उपविधि के अंतर्गत वित्तीय वर्ष समाप्ति के 3 माह तक अपने वित्तीय पत्रक तैयार कर जिलाधिकारी को प्रस्तुत नहीं किए.

(3) अधिनियम की धारा 49(1) अनुसार वार्षिक आमसभा का सूचना-पत्र कार्यालय को नहीं भेजा तथा धारा 49(9) (ए) अंतर्गत 30 दिवस के भीतर आमसभा का कार्यवृत्त कार्यालय को नहीं भेजा.

(4) अधिनियम की धारा 56 अनुसार संस्था ने उपविधि के प्रावधानानुसार विवरणियां निर्धारित समयावधि में कार्यालय को प्रेषित नहीं की.

(5) सहकारिता नियम 1962 के नियम 23 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष समाप्ति के पश्चात सूची का प्रकाशन नहीं किया.

(6) सहकारिता नियम 1962 के नियम 51 के अंतर्गत संस्था ने पक्के चिट्ठे का प्रकाशन कर कार्यालय को अवगत नहीं कराया.

उपरोक्त आधारों पर स्पष्ट है कि संस्था द्वारा सहकारिता अधिनियम/नियम/उपविधियों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है और वह अपने गठन के उद्देश्यों एवं सदस्यों के हित के संवर्धन में असफल हो गई है.

अत: मैं, शिवम मिश्रा, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, जबलपुर मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-2-2010/ पन्द्रह-1सी, भोपाल, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयुक्त कर कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करते हुए समिति को अवसर प्रदान करता हूँ कि उपरोक्त के संबंध में मय साक्ष्यों के दिनांक 27 दिसम्बर, 2019 तक उत्तर प्रस्तुत करें. उत्तर प्राप्त न होने पर अथवा प्राप्त उत्तर से सहमत न होने पर संस्था को परिसमापन में लाये जाने का आदेश पारित कर दिया जायेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 12 दिसम्बर, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा सहित जारी किया गया.

(41)

जबलपुर, दिनांक 12 दिसम्बर, 2019

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रबंधक

ताज साख सहकारी समिति मर्या.,

जबलपुर, पं. क्र. 609.

क्र./उआस/परि./2019/2091.—आपकी संस्था 'संसाधन वर्ग' के अंतर्गत पंजीकृत सहकारी साख संस्था है, जिसका मुख्य उद्देश्य अपने सदस्यों से अमानतें प्राप्त करना व ऋण प्रदान करना है. सहकारी निरीक्षक द्वारा किए गए निरीक्षण में प्रतिवेदित किया गया है कि संस्था साख का व्यवसाय न कर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत दुकान का संचालन कर रही है, जो उसके पंजीकृत उद्देश्यों में नहीं है. अत: मेरे द्वारा राय बनाई गई है कि-

(अ) संस्था अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है.

(ब) समिति ने सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के प्रावधानों का पालन करना बंद कर दिया है:-

(1) संस्था ने उपविधि में वर्णित प्रावधानों अनुसार संचालक मंडल की बैठकें आयोजित न कर अधिनियम की धारा 49(9) (ए) अनुसार कार्यवृत्त कार्यालय को नहीं भेजा.

(2) संस्था की उपविधि के अंतर्गत वित्तीय वर्ष समाप्ति के 3 माह तक अपने वित्तीय पत्रक तैयार कर जिलाधिकारी को प्रस्तुत नहीं किए.

(3) अधिनियम की धारा 49(1) अनुसार वार्षिक आमसभा का सूचना-पत्र कार्यालय को नहीं भेजा तथा धारा 49(9) (ए) अंतर्गत 30 दिवस के भीतर आमसभा का कार्यवृत्त कार्यालय को नहीं भेजा.

(4) अधिनियम की धारा 56 अनुसार संस्था ने उपविधि के प्रावधानानुसार विवरणियां निर्धारित समयावधि में कार्यालय को प्रेषित नहीं की.

(5) सहकारिता नियम 1962 के नियम 23 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष समाप्ति के पश्चात सूची का प्रकाशन नहीं किया.

(6) सहकारिता नियम 1962 के नियम 51 के अंतर्गत संस्था ने पक्के चिट्ठे का प्रकाशन कर कार्यालय को अवगत नहीं कराया.

उपरोक्त आधारों पर स्पष्ट है कि संस्था द्वारा सहकारिता अधिनियम/नियम/उपविधियों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है और वह अपने गठन के उद्देश्यों एवं सदस्यों के हित के संवर्धन में असफल हो गई है.

अत: मैं, शिवम मिश्रा, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, जबलपुर मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-2-2010/ पन्द्रह-1सी, भोपाल, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयुक्त कर कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करते हुए समिति को अवसर प्रदान करता हूँ कि उपरोक्त के संबंध में मय साक्ष्यों के दिनांक 27 दिसम्बर, 2019 तक उत्तर प्रस्तुत करें. उत्तर प्राप्त न होने पर अथवा प्राप्त उत्तर से सहमत न होने पर संस्था को परिसमापन में लाये जाने का आदेश पारित कर दिया जायेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 12 दिसम्बर, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा सहित जारी किया गया.

(42)

जबलपुर, दिनांक 12 दिसम्बर, 2019

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रबंधक

न्यू महावीर साख सहकारी समिति मर्या.,

जबलपुर, पं. क्र. 619.

क्र./उआस/परि./2019/2092.—आपकी संस्था 'संसाधन वर्ग' के अंतर्गत पंजीकृत सहकारी साख संस्था है, जिसका मुख्य उद्देश्य

अपने सदस्यों से अमानतें प्राप्त करना व ऋण प्रदान करना है. सहकारी निरीक्षक द्वारा किए गए निरीक्षण में प्रतिवेदित किया गया है कि संस्था साख का व्यवसाय न कर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत दुकान का संचालन कर रही है, जो उसके पंजीकृत उद्देश्यों में नहीं है. अत: मेरे द्वारा राय बनाई गई है कि-

(अ) संस्था अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है.

(ब) समिति ने सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के प्रावधानों का पालन करना बंद कर दिया है:-

(1) संस्था ने उपविधि में वर्णित प्रावधानों अनुसार संचालक मंडल की बैठकें आयोजित न कर अधिनियम की धारा 49(9) (ए) अनुसार कार्यवृत्त कार्यालय को नहीं भेजा.

(2) संस्था की उपविधि के अंतर्गत वित्तीय वर्ष समाप्ति के 3 माह तक अपने वित्तीय पत्रक तैयार कर जिलाधिकारी को प्रस्तुत नहीं किए.

(3) अधिनियम की धारा 49(1) अनुसार वार्षिक आमसभा का सूचना-पत्र कार्यालय को नहीं भेजा तथा धारा 49(9) (ए) अंतर्गत 30 दिवस के भीतर आमसभा का कार्यवृत्त कार्यालय को नहीं भेजा.

(4) अधिनियम की धारा 56 अनुसार संस्था ने उपविधि के प्रावधानानुसार विवरणियां निर्धारित समयावधि में कार्यालय को प्रेषित नहीं की.

(5) सहकारिता नियम 1962 के नियम 23 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष समाप्ति के पश्चात सूची का प्रकाशन नहीं किया.

(6) सहकारिता नियम 1962 के नियम 51 के अंतर्गत संस्था ने पक्के चिट्ठे का प्रकाशन कर कार्यालय को अवगत नहीं कराया.

उपरोक्त आधारों पर स्पष्ट है कि संस्था द्वारा सहकारिता अधिनियम/नियम/उपविधियों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है और वह अपने गठन के उद्देश्यों एवं सदस्यों के हित के संवर्धन में असफल हो गई है.

अत: मैं, शिवम मिश्रा, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, जबलपुर मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-2-2010/ पन्द्रह-1सी, भोपाल, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयुक्त कर कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करते हुए समिति को अवसर प्रदान करता हूँ कि उपरोक्त के संबंध में मय साक्ष्यों के दिनांक 27 दिसम्बर, 2019 तक उत्तर प्रस्तुत करें. उत्तर प्राप्त न होने पर अथवा प्राप्त उत्तर से सहमत न होने पर संस्था को परिसमापन में लाये जाने का आदेश पारित कर दिया जायेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 12 दिसम्बर, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा सहित जारी किया गया.

(43)

जबलपुर, दिनांक 12 दिसम्बर, 2019

कारण बताओ सूचना पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रबंधक

श्री कृष्णा साख सहकारी समिति मर्या.,

जबलपुर, पं. क्र. 621.

क्र./उआस/परि./2019/2093.—आपकी संस्था 'संसाधन वर्ग' के अंतर्गत पंजीकृत सहकारी साख संस्था है, जिसका मुख्य उद्देश्य अपने सदस्यों से अमानतें प्राप्त करना व ऋण प्रदान करना है. सहकारी निरीक्षक द्वारा किए गए निरीक्षण में प्रतिवेदित किया गया है कि संस्था साख का व्यवसाय न कर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत दुकान का संचालन कर रही है, जो उसके पंजीकृत उद्देश्यों में नहीं है. अत: मेरे द्वारा राय बनाई गई है कि-

(अ) संस्था अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है.

(ब) समिति ने सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के प्रावधानों का पालन करना बंद कर दिया है:-

(1) संस्था ने उपविधि में वर्णित प्रावधानों अनुसार संचालक मंडल की बैठकें आयोजित न कर अधिनियम की धारा 49(9) (ए) अनुसार कार्यवृत्त कार्यालय को नहीं भेजा.

(2) संस्था की उपविधि के अंतर्गत वित्तीय वर्ष समाप्ति के 3 माह तक अपने वित्तीय पत्रक तैयार कर जिलाधिकारी को प्रस्तुत नहीं किए.

(3) अधिनियम की धारा 49(1) अनुसार वार्षिक आमसभा का सूचना-पत्र कार्यालय को नहीं भेजा तथा धारा 49(9) (ए) अंतर्गत 30 दिवस के भीतर आमसभा का कार्यवृत्त कार्यालय को नहीं भेजा.

(4) अधिनियम की धारा 56 अनुसार संस्था ने उपविधि के प्रावधानानुसार विवरणियां निर्धारित समयावधि में कार्यालय को प्रेषित नहीं की.

(5) सहकारिता नियम 1962 के नियम 23 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष समाप्ति के पश्चात सूची का प्रकाशन नहीं किया.

(6) सहकारिता नियम 1962 के नियम 51 के अंतर्गत संस्था ने पक्के चिट्ठे का प्रकाशन कर कार्यालय को अवगत नहीं कराया.

उपरोक्त आधारों पर स्पष्ट है कि संस्था द्वारा सहकारिता अधिनियम/नियम/उपविधियों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है और वह अपने गठन के उद्देश्यों एवं सदस्यों के हित के संवर्धन में असफल हो गई है.

अत: मैं, शिवम मिश्रा, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, जबलपुर मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-2-2010/ पन्द्रह-1सी, भोपाल, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयुक्त कर कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करते हुए समिति को अवसर प्रदान करता हूँ कि उपरोक्त के संबंध में मय साक्ष्यों के दिनांक 27 दिसम्बर, 2019 तक उत्तर प्रस्तुत करें. उत्तर प्राप्त न होने पर अथवा प्राप्त उत्तर से सहमत न होने पर संस्था को परिसमापन में लाये जाने का आदेश पारित कर दिया जायेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 12 दिसम्बर, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा सहित जारी किया गया.

(44)

जबलपुर, दिनांक 12 दिसम्बर, 2019

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत]

प्रति,
अध्यक्ष/प्रबंधक
गरीब नवाज साख सहकारी समिति मर्या.,
जबलपुर, पं. क्र. 630.

क्र./उआस/परि./2019/2094.—आपकी संस्था 'संसाधन वर्ग' के अंतर्गत पंजीकृत सहकारी साख संस्था है, जिसका मुख्य उद्देश्य अपने सदस्यों से अमानतें प्राप्त करना व ऋण प्रदान करना है. सहकारी निरीक्षक द्वारा किए गए निरीक्षण में प्रतिवेदित किया गया है कि संस्था साख का व्यवसाय न कर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत दुकान का संचालन कर रही है, जो उसके पंजीकृत उद्देश्यों में नहीं है. अत: मेरे द्वारा राय बनाई गई है कि-

(अ) संस्था अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है.

(ब) समिति ने सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के प्रावधानों का पालन करना बंद कर दिया है:-

(1) संस्था ने उपविधि में वर्णित प्रावधानों अनुसार संचालक मंडल की बैठकें आयोजित न कर अधिनियम की धारा 49(9) (ए) अनुसार कार्यवृत्त कार्यालय को नहीं भेजा.

(2) संस्था की उपविधि के अंतर्गत वित्तीय वर्ष समाप्ति के 3 माह तक अपने वित्तीय पत्रक तैयार कर जिलाधिकारी को प्रस्तुत नहीं किए.

(3) अधिनियम की धारा 49(1) अनुसार वार्षिक आमसभा का सूचना-पत्र कार्यालय को नहीं भेजा तथा धारा 49(9) (ए) अंतर्गत 30 दिवस के भीतर आमसभा का कार्यवृत्त कार्यालय को नहीं भेजा.

(4) अधिनियम की धारा 56 अनुसार संस्था ने उपविधि के प्रावधानानुसार विवरणियां निर्धारित समयावधि में कार्यालय को प्रेषित नहीं की.

(5) सहकारिता नियम 1962 के नियम 23 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष समाप्ति के पश्चात सूची का प्रकाशन नहीं किया.

(6) सहकारिता नियम 1962 के नियम 51 के अंतर्गत संस्था ने पक्के चिट्ठे का प्रकाशन कर कार्यालय को अवगत नहीं कराया.

उपरोक्त आधारों पर स्पष्ट है कि संस्था द्वारा सहकारिता अधिनियम/नियम/उपविधियों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है और वह अपने गठन के उद्देश्यों एवं सदस्यों के हित के संवर्धन में असफल हो गई है.

अत: मैं, शिवम मिश्रा, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, जबलपुर मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-2-2010/ पन्द्रह-1सी, भोपाल, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयुक्त कर कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करते हुए समिति को अवसर प्रदान करता हूँ कि उपरोक्त के संबंध में मय साक्ष्यों के दिनांक 27 दिसम्बर, 2019 तक उत्तर प्रस्तुत करें. उत्तर प्राप्त न होने पर अथवा प्राप्त उत्तर से सहमत न होने पर संस्था को परिसमापन में लाये जाने का आदेश पारित कर दिया जायेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 12 दिसम्बर, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा सहित जारी किया गया.

(45)

जबलपुर, दिनांक 12 दिसम्बर, 2019

कारण बताओ सूचना पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रबंधक

अल्प संख्यक साख सहकारी समिति मर्या.,

जबलपुर, पं. क्र. 633.

क्र./उआस/परि./2019/2095.—आपकी संस्था 'संसाधन वर्ग' के अंतर्गत पंजीकृत सहकारी साख संस्था है, जिसका मुख्य उद्देश्य अपने सदस्यों से अमानतें प्राप्त करना व ऋण प्रदान करना है. सहकारी निरीक्षक द्वारा किए गए निरीक्षण में प्रतिवेदित किया गया है कि संस्था साख का व्यवसाय न कर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत दुकान का संचालन कर रही है, जो उसके पंजीकृत उद्देश्यों में नहीं है. अत: मेरे द्वारा राय बनाई गई है कि-

(अ) संस्था अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है.

(ब) समिति ने सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के प्रावधानों का पालन करना बंद कर दिया है:-

(1) संस्था ने उपविधि में वर्णित प्रावधानों अनुसार संचालक मंडल की बैठकें आयोजित न कर अधिनियम की धारा 49(9) (ए) अनुसार कार्यवृत्त कार्यालय को नहीं भेजा.

(2) संस्था की उपविधि के अंतर्गत वित्तीय वर्ष समाप्ति के 3 माह तक अपने वित्तीय पत्रक तैयार कर जिलाधिकारी को प्रस्तुत नहीं किए.

(3) अधिनियम की धारा 49(1) अनुसार वार्षिक आमसभा का सूचना-पत्र कार्यालय को नहीं भेजा तथा धारा 49(9) (ए) अंतर्गत 30 दिवस के भीतर आमसभा का कार्यवृत्त कार्यालय को नहीं भेजा.

(4) अधिनियम की धारा 56 अनुसार संस्था ने उपविधि के प्रावधानानुसार विवरणियां निर्धारित समयावधि में कार्यालय को प्रेषित नहीं की.

(5) सहकारिता नियम 1962 के नियम 23 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष समाप्ति के पश्चात सूची का प्रकाशन नहीं किया.

(6) सहकारिता नियम 1962 के नियम 51 के अंतर्गत संस्था ने पक्के चिट्ठे का प्रकाशन कर कार्यालय को अवगत नहीं कराया.

उपरोक्त आधारों पर स्पष्ट है कि संस्था द्वारा सहकारिता अधिनियम/नियम/उपविधियों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है और वह अपने गठन के उद्देश्यों एवं सदस्यों के हित के संवर्धन में असफल हो गई है.

अत: मैं, शिवम मिश्रा, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, जबलपुर मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-2-2010/ पन्द्रह-1सी, भोपाल, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयुक्त कर कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करते हुए समिति को अवसर प्रदान करता हूँ कि उपरोक्त के संबंध में मय साक्ष्यों के दिनांक 27 दिसम्बर, 2019 तक उत्तर प्रस्तुत करें. उत्तर प्राप्त न होने पर अथवा प्राप्त उत्तर से सहमत न होने पर संस्था को परिसमापन में लाये जाने का आदेश पारित कर दिया जायेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 12 दिसम्बर, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा सहित जारी किया गया.

(46)

जबलपुर, दिनांक 12 दिसम्बर, 2019

कारण बताओ सूचना पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रबंधक

कल्पतरू साख सहकारी समिति मर्या.,

जबलपुर, पं. क्र. 634.

क्र./उआस/परि./2019/2096.—आपकी संस्था 'संसाधन वर्ग' के अंतर्गत पंजीकृत सहकारी साख संस्था है, जिसका मुख्य उद्देश्य अपने सदस्यों से अमानतें प्राप्त करना व ऋण प्रदान करना है. सहकारी निरीक्षक द्वारा किए गए निरीक्षण में प्रतिवेदित किया गया है कि

संस्था साख का व्यवसाय न कर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत दुकान का संचालन कर रही है, जो उसके पंजीकृत उद्देश्यों में नहीं है. अत: मेरे द्वारा राय बनाई गई है कि-

(अ) संस्था अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है.

(ब) समिति ने सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के प्रावधानों का पालन करना बंद कर दिया है:-

(1) संस्था ने उपविधि में वर्णित प्रावधानों अनुसार संचालक मंडल की बैठकें आयोजित न कर अधिनियम की धारा 49(9) (ए) अनुसार कार्यवृत्त कार्यालय को नहीं भेजा.

(2) संस्था की उपविधि के अंतर्गत वित्तीय वर्ष समाप्ति के 3 माह तक अपने वित्तीय पत्रक तैयार कर जिलाधिकारी को प्रस्तुत नहीं किए.

(3) अधिनियम की धारा 49(1) अनुसार वार्षिक आमसभा का सूचना-पत्र कार्यालय को नहीं भेजा तथा धारा 49(9) (ए) अंतर्गत 30 दिवस के भीतर आमसभा का कार्यवृत्त कार्यालय को नहीं भेजा.

(4) अधिनियम की धारा 56 अनुसार संस्था ने उपविधि के प्रावधानानुसार विवरणियां निर्धारित समयावधि में कार्यालय को प्रेषित नहीं की.

(5) सहकारिता नियम 1962 के नियम 23 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष समाप्ति के पश्चात सूची का प्रकाशन नहीं किया.

(6) सहकारिता नियम 1962 के नियम 51 के अंतर्गत संस्था ने पक्के चिट्ठे का प्रकाशन कर कार्यालय को अवगत नहीं कराया.

उपरोक्त आधारों पर स्पष्ट है कि संस्था द्वारा सहकारिता अधिनियम/नियम/उपविधियों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है और वह अपने गठन के उद्देश्यों एवं सदस्यों के हित के संवर्धन में असफल हो गई है.

अत: मैं, शिवम मिश्रा, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, जबलपुर मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-2-2010/ पन्द्रह-1सी, भोपाल, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयुक्त कर कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करते हुए समिति को अवसर प्रदान करता हूँ कि उपरोक्त के संबंध में मय साक्ष्यों के दिनांक 27 दिसम्बर, 2019 तक उत्तर प्रस्तुत करें. उत्तर प्राप्त न होने पर अथवा प्राप्त उत्तर से सहमत न होने पर संस्था को परिसमापन में लाये जाने का आदेश पारित कर दिया जायेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 12 दिसम्बर, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा सहित जारी किया गया.

(47)

जबलपुर, दिनांक 12 दिसम्बर, 2019

कारण बताओ सूचना पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रबंधक

नगर सेवा साख सहकारी समिति मर्या.,

जबलपुर, पं. क्र. 640.

क्र./उआस/परि./2019/2097.—आपकी संस्था 'संसाधन वर्ग' के अंतर्गत पंजीकृत सहकारी साख संस्था है, जिसका मुख्य उद्देश्य अपने सदस्यों से अमानतें प्राप्त करना व ऋण प्रदान करना है. सहकारी निरीक्षक द्वारा किए गए निरीक्षण में प्रतिवेदित किया गया है कि संस्था साख का व्यवसाय न कर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत दुकान का संचालन कर रही है, जो उसके पंजीकृत उद्देश्यों में नहीं है. अत: मेरे द्वारा राय बनाई गई है कि-

(अ) संस्था अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है.

(ब) समिति ने सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के प्रावधानों का पालन करना बंद कर दिया है:-

(1) संस्था ने उपविधि में वर्णित प्रावधानों अनुसार संचालक मंडल की बैठकें आयोजित न कर अधिनियम की धारा 49(9) (ए) अनुसार कार्यवृत्त कार्यालय को नहीं भेजा.

(2) संस्था की उपविधि के अंतर्गत वित्तीय वर्ष समाप्ति के 3 माह तक अपने वित्तीय पत्रक तैयार कर जिलाधिकारी को प्रस्तुत नहीं किए.

(3) अधिनियम की धारा 49(1) अनुसार वार्षिक आमसभा का सूचना-पत्र कार्यालय को नहीं भेजा तथा धारा 49(9) (ए) अंतर्गत 30 दिवस के भीतर आमसभा का कार्यवृत्त कार्यालय को नहीं भेजा.

(4) अधिनियम की धारा 56 अनुसार संस्था ने उपविधि के प्रावधानानुसार विवरणियां निर्धारित समयावधि में कार्यालय को प्रेषित नहीं की.

(5) सहकारिता नियम 1962 के नियम 23 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष समाप्ति के पश्चात सूची का प्रकाशन नहीं किया.

(6) सहकारिता नियम 1962 के नियम 51 के अंतर्गत संस्था ने पक्के चिट्ठे का प्रकाशन कर कार्यालय को अवगत नहीं कराया.

उपरोक्त आधारों पर स्पष्ट है कि संस्था द्वारा सहकारिता अधिनियम/नियम/उपविधियों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है और वह अपने गठन के उद्देश्यों एवं सदस्यों के हित के संवर्धन में असफल हो गई है.

अत: मैं, शिवम मिश्रा, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, जबलपुर मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-2-2010/ पन्द्रह-1सी, भोपाल, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयुक्त कर कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करते हुए समिति को अवसर प्रदान करता हूँ कि उपरोक्त के संबंध में मय साक्ष्यों के दिनांक 27 दिसम्बर, 2019 तक उत्तर प्रस्तुत करें. उत्तर प्राप्त न होने पर अथवा प्राप्त उत्तर से सहमत न होने पर संस्था को परिसमापन में लाये जाने का आदेश पारित कर दिया जायेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 12 दिसम्बर, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा सहित जारी किया गया.

(48)

जबलपुर, दिनांक 12 दिसम्बर, 2019

कारण बताओ सूचना पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत]

प्रति,
अध्यक्ष/प्रबंधक
सार्वजनिक साख सहकारी समिति मर्या.,
जबलपुर, पं. क्र. 472.

क्र./उआस/परि./2019/2098.—आपकी संस्था 'संसाधन वर्ग' के अंतर्गत पंजीकृत सहकारी साख संस्था है, जिसका मुख्य उद्देश्य अपने सदस्यों से अमानतें प्राप्त करना व ऋण प्रदान करना है. सहकारी निरीक्षक द्वारा किए गए निरीक्षण में प्रतिवेदित किया गया है कि संस्था साख का व्यवसाय न कर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत दुकान का संचालन कर रही है, जो उसके पंजीकृत उद्देश्यों में नहीं है. अत: मेरे द्वारा राय बनाई गई है कि-

(अ) संस्था अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है.

(ब) समिति ने सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के प्रावधानों का पालन करना बंद कर दिया है:-

(1) संस्था ने उपविधि में वर्णित प्रावधानों अनुसार संचालक मंडल की बैठकें आयोजित न कर अधिनियम की धारा 49(9) (ए) अनुसार कार्यवृत्त कार्यालय को नहीं भेजा.

(2) संस्था की उपविधि के अंतर्गत वित्तीय वर्ष समाप्ति के 3 माह तक अपने वित्तीय पत्रक तैयार कर जिलाधिकारी को प्रस्तुत नहीं किए.

(3) अधिनियम की धारा 49(1) अनुसार वार्षिक आमसभा का सूचना-पत्र कार्यालय को नहीं भेजा तथा धारा 49(9) (ए) अंतर्गत 30 दिवस के भीतर आमसभा का कार्यवृत्त कार्यालय को नहीं भेजा.

(4) अधिनियम की धारा 56 अनुसार संस्था ने उपविधि के प्रावधानानुसार विवरणियां निर्धारित समयावधि में कार्यालय को प्रेषित नहीं की.

(5) सहकारिता नियम 1962 के नियम 23 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष समाप्ति के पश्चात सूची का प्रकाशन नहीं किया.

(6) सहकारिता नियम 1962 के नियम 51 के अंतर्गत संस्था ने पक्के चिट्ठे का प्रकाशन कर कार्यालय को अवगत नहीं कराया.

उपरोक्त आधारों पर स्पष्ट है कि संस्था द्वारा सहकारिता अधिनियम/नियम/उपविधियों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है और वह अपने गठन के उद्देश्यों एवं सदस्यों के हित के संवर्धन में असफल हो गई है.

अत: मैं, शिवम मिश्रा, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, जबलपुर मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-2-2010/ पन्द्रह-1सी, भोपाल, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयुक्त कर कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करते हुए समिति को अवसर प्रदान करता हूँ कि उपरोक्त के संबंध में मय साक्ष्यों के दिनांक 27 दिसम्बर, 2019 तक उत्तर प्रस्तुत करें. उत्तर प्राप्त न होने पर अथवा प्राप्त उत्तर से सहमत न होने पर संस्था को परिसमापन में लाये जाने का आदेश पारित कर दिया जायेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 12 दिसम्बर, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा सहित जारी किया गया.

(49)

जबलपुर, दिनांक 13 दिसम्बर, 2019

कारण बताओ सूचना पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रबंधक

जय भारत साख सहकारी समिति मर्या.,

जबलपुर, पं. क्र. 631.

क्र./उआस/परि./2019/2151.—आपकी संस्था 'संसाधन वर्ग' के अंतर्गत पंजीकृत सहकारी साख संस्था है, जिसका मुख्य उद्देश्य अपने सदस्यों से अमानतें प्राप्त करना व ऋण प्रदान करना है. सहकारी निरीक्षक द्वारा किए गए निरीक्षण में प्रतिवेदित किया गया है कि संस्था साख का व्यवसाय न कर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत दुकान का संचालन कर रही है, जो उसके पंजीकृत उद्देश्यों में नहीं है. अतः मेरे द्वारा राय बनाई गई है कि-

(अ) संस्था अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है.

(ब) समिति ने सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के प्रावधानों का पालन करना बंद कर दिया है:-

(1) संस्था ने उपविधि में वर्णित प्रावधानों अनुसार संचालक मंडल की बैठकें आयोजित न कर अधिनियम की धारा 49(9) (ए) अनुसार कार्यवृत्त कार्यालय को नहीं भेजा.

(2) संस्था की उपविधि के अंतर्गत वित्तीय वर्ष समाप्ति के 3 माह तक अपने वित्तीय पत्रक तैयार कर जिलाधिकारी को प्रस्तुत नहीं किए.

(3) अधिनियम की धारा 49(1) अनुसार वार्षिक आमसभा का सूचना-पत्र कार्यालय को नहीं भेजा तथा धारा 49(9) (ए) अंतर्गत 30 दिवस के भीतर आमसभा का कार्यवृत्त कार्यालय को नहीं भेजा.

(4) अधिनियम की धारा 56 अनुसार संस्था ने उपविधि के प्रावधानानुसार विवरणियां निर्धारित समयावधि में कार्यालय को प्रेषित नहीं की.

(5) सहकारिता नियम 1962 के नियम 23 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष समाप्ति के पश्चात सूची का प्रकाशन नहीं किया.

(6) सहकारिता नियम 1962 के नियम 51 के अंतर्गत संस्था ने पक्के चिट्ठे का प्रकाशन कर कार्यालय को अवगत नहीं कराया.

उपरोक्त आधारों पर स्पष्ट है कि संस्था द्वारा सहकारिता अधिनियम/नियम/उपविधियों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है और वह अपने गठन के उद्देश्यों एवं सदस्यों के हित के संवर्धन में असफल हो गई है.

अतः मैं, शिवम मिश्रा, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, जबलपुर मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-2-2010/ पन्द्रह-1सी, भोपाल, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयुक्त कर कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करते हुए समिति को अवसर प्रदान करता हूँ कि उपरोक्त के संबंध में मय साक्ष्यों के दिनांक 07 जनवरी, 2020 तक उत्तर प्रस्तुत करें. उत्तर प्राप्त न होने पर अथवा प्राप्त उत्तर से सहमत न होने पर संस्था को परिसमापन में लाये जाने का आदेश पारित कर दिया जायेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 13 दिसम्बर, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा सहित जारी किया गया.

(50)

जबलपुर, दिनांक 13 दिसम्बर, 2019

कारण बताओ सूचना पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रबंधक

जिज्ञासा साख सहकारी समिति मर्या.,

जबलपुर, पं. क्र. 696.

क्र./उआस/परि./2019/2152.—आपकी संस्था 'संसाधन वर्ग' के अंतर्गत पंजीकृत सहकारी साख संस्था है, जिसका मुख्य उद्देश्य अपने सदस्यों से अमानतें प्राप्त करना व ऋण प्रदान करना है. सहकारी निरीक्षक द्वारा किए गए निरीक्षण में प्रतिवेदित किया गया है कि संस्था

साख का व्यवसाय न कर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत दुकान का संचालन कर रही है, जो उसके पंजीकृत उद्देश्यों में नहीं है. अत: मेरे द्वारा राय बनाई गई है कि-

(अ) संस्था अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है.

(ब) समिति ने सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के प्रावधानों का पालन करना बंद कर दिया है:-

(1) संस्था ने उपविधि में वर्णित प्रावधानों अनुसार संचालक मंडल की बैठकें आयोजित न कर अधिनियम की धारा 49(9) (ए) अनुसार कार्यवृत्त कार्यालय को नहीं भेजा.

(2) संस्था की उपविधि के अंतर्गत वित्तीय वर्ष समाप्ति के 3 माह तक अपने वित्तीय पत्रक तैयार कर जिलाधिकारी को प्रस्तुत नहीं किए.

(3) अधिनियम की धारा 49(1) अनुसार वार्षिक आमसभा का सूचना-पत्र कार्यालय को नहीं भेजा तथा धारा 49(9) (ए) अंतर्गत 30 दिवस के भीतर आमसभा का कार्यवृत्त कार्यालय को नहीं भेजा.

(4) अधिनियम की धारा 56 अनुसार संस्था ने उपविधि के प्रावधानानुसार विवरणियां निर्धारित समयावधि में कार्यालय को प्रेषित नहीं की.

(5) सहकारिता नियम 1962 के नियम 23 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष समाप्ति के पश्चात सूची का प्रकाशन नहीं किया.

(6) सहकारिता नियम 1962 के नियम 51 के अंतर्गत संस्था ने पक्के चिट्ठे का प्रकाशन कर कार्यालय को अवगत नहीं कराया.

उपरोक्त आधारों पर स्पष्ट है कि संस्था द्वारा सहकारिता अधिनियम/नियम/उपविधियों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है और वह अपने गठन के उद्देश्यों एवं सदस्यों के हित के संवर्धन में असफल हो गई है.

अत: मैं, शिवम मिश्रा, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, जबलपुर मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-2-2010/ पन्द्रह-1सी, भोपाल, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयुक्त कर कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करते हुए समिति को अवसर प्रदान करता हूँ कि उपरोक्त के संबंध में मय साक्ष्यों के दिनांक 07 जनवरी, 2020 तक उत्तर प्रस्तुत करें. उत्तर प्राप्त न होने पर अथवा प्राप्त उत्तर से सहमत न होने पर संस्था को परिसमापन में लाये जाने का आदेश पारित कर दिया जायेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 13 दिसम्बर, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा सहित जारी किया गया.

(51)

जबलपुर, दिनांक 13 दिसम्बर, 2019

कारण बताओ सूचना पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रबंधक

आदर्श साख सहकारी समिति मर्या.,

जबलपुर, पं. क्र. 656.

क्र./उआस/परि./2019/2153.—आपकी संस्था 'संसाधन वर्ग' के अंतर्गत पंजीकृत सहकारी साख संस्था है, जिसका मुख्य उद्देश्य अपने सदस्यों से अमानतें प्राप्त करना व ऋण प्रदान करना है. सहकारी निरीक्षक द्वारा किए गए निरीक्षण में प्रतिवेदित किया गया है कि संस्था साख का व्यवसाय न कर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत दुकान का संचालन कर रही है, जो उसके पंजीकृत उद्देश्यों में नहीं है. अत: मेरे द्वारा राय बनाई गई है कि-

(अ) संस्था अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है.

(ब) समिति ने सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के प्रावधानों का पालन करना बंद कर दिया है:-

(1) संस्था ने उपविधि में वर्णित प्रावधानों अनुसार संचालक मंडल की बैठकें आयोजित न कर अधिनियम की धारा 49(9) (ए) अनुसार कार्यवृत्त कार्यालय को नहीं भेजा.

(2) संस्था की उपविधि के अंतर्गत वित्तीय वर्ष समाप्ति के 3 माह तक अपने वित्तीय पत्रक तैयार कर जिलाधिकारी को प्रस्तुत नहीं किए.

(3) अधिनियम की धारा 49(1) अनुसार वार्षिक आमसभा का सूचना-पत्र कार्यालय को नहीं भेजा तथा धारा 49(9) (ए) अंतर्गत 30 दिवस के भीतर आमसभा का कार्यवृत्त कार्यालय को नहीं भेजा.

(4) अधिनियम की धारा 56 अनुसार संस्था ने उपविधि के प्रावधानानुसार विवरणियां निर्धारित समयावधि में कार्यालय को प्रेषित नहीं की.

(5) सहकारिता नियम 1962 के नियम 23 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष समाप्ति के पश्चात सूची का प्रकाशन नहीं किया.

(6) सहकारिता नियम 1962 के नियम 51 के अंतर्गत संस्था ने पक्के चिट्ठे का प्रकाशन कर कार्यालय को अवगत नहीं कराया.

उपरोक्त आधारों पर स्पष्ट है कि संस्था द्वारा सहकारिता अधिनियम/नियम/उपविधियों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है और वह अपने गठन के उद्देश्यों एवं सदस्यों के हित के संवर्धन में असफल हो गई है.

अत: मैं, शिवम मिश्रा, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, जबलपुर मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-2-2010/ पन्द्रह-1सी, भोपाल, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयुक्त कर कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करते हुए समिति को अवसर प्रदान करता हूँ कि उपरोक्त के संबंध में मय साक्ष्यों के दिनांक 07 जनवरी, 2020 तक उत्तर प्रस्तुत करें. उत्तर प्राप्त न होने पर अथवा प्राप्त उत्तर से सहमत न होने पर संस्था को परिसमापन में लाये जाने का आदेश पारित कर दिया जायेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 13 दिसम्बर, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा सहित जारी किया गया.

(52)

जबलपुर, दिनांक 13 दिसम्बर, 2019

कारण बताओ सूचना पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रबंधक

गोंडवाना साख सहकारी समिति मर्या.,

जबलपुर, पं. क्र. 653.

क्र./उआस/परि./2019/2154.—आपकी संस्था 'संसाधन वर्ग' के अंतर्गत पंजीकृत सहकारी साख संस्था है, जिसका मुख्य उद्देश्य अपने सदस्यों से अमानतें प्राप्त करना व ऋण प्रदान करना है. सहकारी निरीक्षक द्वारा किए गए निरीक्षण में प्रतिवेदित किया गया है कि संस्था साख का व्यवसाय न कर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत दुकान का संचालन कर रही है, जो उसके पंजीकृत उद्देश्यों में नहीं है. अत: मेरे द्वारा राय बनाई गई है कि-

(अ) संस्था अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है.

(ब) समिति ने सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के प्रावधानों का पालन करना बंद कर दिया है:-

(1) संस्था ने उपविधि में वर्णित प्रावधानों अनुसार संचालक मंडल की बैठकें आयोजित न कर अधिनियम की धारा 49(9) (ए) अनुसार कार्यवृत्त कार्यालय को नहीं भेजा.

(2) संस्था की उपविधि के अंतर्गत वित्तीय वर्ष समाप्ति के 3 माह तक अपने वित्तीय पत्रक तैयार कर जिलाधिकारी को प्रस्तुत नहीं किए.

(3) अधिनियम की धारा 49(1) अनुसार वार्षिक आमसभा का सूचना-पत्र कार्यालय को नहीं भेजा तथा धारा 49(9) (ए) अंतर्गत 30 दिवस के भीतर आमसभा का कार्यवृत्त कार्यालय को नहीं भेजा.

(4) अधिनियम की धारा 56 अनुसार संस्था ने उपविधि के प्रावधानानुसार विवरणियां निर्धारित समयावधि में कार्यालय को प्रेषित नहीं की.

(5) सहकारिता नियम 1962 के नियम 23 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष समाप्ति के पश्चात सूची का प्रकाशन नहीं किया.

(6) सहकारिता नियम 1962 के नियम 51 के अंतर्गत संस्था ने पक्के चिट्ठे का प्रकाशन कर कार्यालय को अवगत नहीं कराया.

उपरोक्त आधारों पर स्पष्ट है कि संस्था द्वारा सहकारिता अधिनियम/नियम/उपविधियों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है और वह अपने गठन के उद्देश्यों एवं सदस्यों के हित के संवर्धन में असफल हो गई है.

अत: मैं, शिवम मिश्रा, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, जबलपुर मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-2-2010/ पन्द्रह-1सी, भोपाल, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयुक्त कर कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करते हुए समिति को अवसर प्रदान करता हूँ कि उपरोक्त के संबंध में मय साक्ष्यों के दिनांक 07 जनवरी, 2020 तक उत्तर प्रस्तुत करें. उत्तर प्राप्त न होने पर अथवा प्राप्त उत्तर से सहमत न होने पर संस्था को परिसमापन में लाये जाने का आदेश पारित कर दिया जायेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 13 दिसम्बर, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा सहित जारी किया गया.

(53)

जबलपुर, दिनांक 13 दिसम्बर, 2019

कारण बताओ सूचना पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रबंधक

त्रिमूर्ति साख सहकारी समिति मर्या.,

जबलपुर, पं. क्र. 650.

क्र./उआस/परि./2019/2155.—आपकी संस्था 'संसाधन वर्ग' के अंतर्गत पंजीकृत सहकारी साख संस्था है, जिसका मुख्य उद्देश्य अपने सदस्यों से अमानतें प्राप्त करना व ऋण प्रदान करना है. सहकारी निरीक्षक द्वारा किए गए निरीक्षण में प्रतिवेदित किया गया है कि संस्था साख का व्यवसाय न कर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत दुकान का संचालन कर रही है, जो उसके पंजीकृत उद्देश्यों में नहीं है. अत: मेरे द्वारा राय बनाई गई है कि-

(अ) संस्था अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है.

(ब) समिति ने सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के प्रावधानों का पालन करना बंद कर दिया है:-

(1) संस्था ने उपविधि में वर्णित प्रावधानों अनुसार संचालक मंडल की बैठकें आयोजित न कर अधिनियम की धारा 49(9) (ए) अनुसार कार्यवृत्त कार्यालय को नहीं भेजा.

(2) संस्था की उपविधि के अंतर्गत वित्तीय वर्ष समाप्ति के 3 माह तक अपने वित्तीय पत्रक तैयार कर जिलाधिकारी को प्रस्तुत नहीं किए.

(3) अधिनियम की धारा 49(1) अनुसार वार्षिक आमसभा का सूचना-पत्र कार्यालय को नहीं भेजा तथा धारा 49(9) (ए) अंतर्गत 30 दिवस के भीतर आमसभा का कार्यवृत्त कार्यालय को नहीं भेजा.

(4) अधिनियम की धारा 56 अनुसार संस्था ने उपविधि के प्रावधानानुसार विवरणियां निर्धारित समयावधि में कार्यालय को प्रेषित नहीं की.

(5) सहकारिता नियम 1962 के नियम 23 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष समाप्ति के पश्चात सूची का प्रकाशन नहीं किया.

(6) सहकारिता नियम 1962 के नियम 51 के अंतर्गत संस्था ने पक्के चिट्ठे का प्रकाशन कर कार्यालय को अवगत नहीं कराया.

उपरोक्त आधारों पर स्पष्ट है कि संस्था द्वारा सहकारिता अधिनियम/नियम/उपविधियों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है और वह अपने गठन के उद्देश्यों एवं सदस्यों के हित के संवर्धन में असफल हो गई है.

अत: मैं, शिवम मिश्रा, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, जबलपुर मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-2-2010/ पन्द्रह-1सी, भोपाल, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयुक्त कर कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करते हुए समिति को अवसर प्रदान करता हूँ कि उपरोक्त के संबंध में मय साक्ष्यों के दिनांक 07 जनवरी, 2020 तक उत्तर प्रस्तुत करें. उत्तर प्राप्त न होने पर अथवा प्राप्त उत्तर से सहमत न होने पर संस्था को परिसमापन में लाये जाने का आदेश पारित कर दिया जायेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 13 दिसम्बर, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा सहित जारी किया गया.

(54)

जबलपुर, दिनांक 13 दिसम्बर, 2019

कारण बताओ सूचना पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रबंधक

शहीद भगत सिंह साख सहकारी समिति मर्या.,

जबलपुर, पं. क्र. 646.

क्र./उआस/परि./2019/2156.—आपकी संस्था 'संसाधन वर्ग' के अंतर्गत पंजीकृत सहकारी साख संस्था है, जिसका मुख्य उद्देश्य अपने सदस्यों से अमानतें प्राप्त करना व ऋण प्रदान करना है. सहकारी निरीक्षक द्वारा किए गए निरीक्षण में प्रतिवेदित किया गया है कि संस्था

साख का व्यवसाय न कर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत दुकान का संचालन कर रही है, जो उसके पंजीकृत उद्देश्यों में नहीं है. अत: मेरे द्वारा राय बनाई गई है कि-

(अ) संस्था अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है.

(ब) समिति ने सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के प्रावधानों का पालन करना बंद कर दिया है:-

(1) संस्था ने उपविधि में वर्णित प्रावधानों अनुसार संचालक मंडल की बैठकें आयोजित न कर अधिनियम की धारा 49(9) (ए) अनुसार कार्यवृत्त कार्यालय को नहीं भेजा.

(2) संस्था की उपविधि के अंतर्गत वित्तीय वर्ष समाप्ति के 3 माह तक अपने वित्तीय पत्रक तैयार कर जिलाधिकारी को प्रस्तुत नहीं किए.

(3) अधिनियम की धारा 49(1) अनुसार वार्षिक आमसभा का सूचना-पत्र कार्यालय को नहीं भेजा तथा धारा 49(9) (ए) अंतर्गत 30 दिवस के भीतर आमसभा का कार्यवृत्त कार्यालय को नहीं भेजा.

(4) अधिनियम की धारा 56 अनुसार संस्था ने उपविधि के प्रावधानानुसार विवरणियां निर्धारित समयावधि में कार्यालय को प्रेषित नहीं की.

(5) सहकारिता नियम 1962 के नियम 23 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष समाप्ति के पश्चात सूची का प्रकाशन नहीं किया.

(6) सहकारिता नियम 1962 के नियम 51 के अंतर्गत संस्था ने पक्के चिट्ठे का प्रकाशन कर कार्यालय को अवगत नहीं कराया.

उपरोक्त आधारों पर स्पष्ट है कि संस्था द्वारा सहकारिता अधिनियम/नियम/उपविधियों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है और वह अपने गठन के उद्देश्यों एवं सदस्यों के हित के संवर्धन में असफल हो गई है.

अत: मैं, शिवम मिश्रा, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, जबलपुर मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-2-2010/ पन्द्रह-1सी, भोपाल, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयुक्त कर कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करते हुए समिति को अवसर प्रदान करता हूँ कि उपरोक्त के संबंध में मय साक्ष्यों के दिनांक 07 जनवरी, 2020 तक उत्तर प्रस्तुत करें. उत्तर प्राप्त न होने पर अथवा प्राप्त उत्तर से सहमत न होने पर संस्था को परिसमापन में लाये जाने का आदेश पारित कर दिया जायेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 13 दिसम्बर, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा सहित जारी किया गया.

(55)

जबलपुर, दिनांक 13 दिसम्बर, 2019

कारण बताओ सूचना पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रबंधक

खमरिया मजदूर साख सहकारी समिति मर्या.,

जबलपुर, पं. क्र. 643.

क्र./उआस/परि./2019/2157.—आपकी संस्था 'संसाधन वर्ग' के अंतर्गत पंजीकृत सहकारी साख संस्था है, जिसका मुख्य उद्देश्य अपने सदस्यों से अमानतें प्राप्त करना व ऋण प्रदान करना है. सहकारी निरीक्षक द्वारा किए गए निरीक्षण में प्रतिवेदित किया गया है कि संस्था साख का व्यवसाय न कर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत दुकान का संचालन कर रही है, जो उसके पंजीकृत उद्देश्यों में नहीं है. अत: मेरे द्वारा राय बनाई गई है कि-

(अ) संस्था अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है.

(ब) समिति ने सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के प्रावधानों का पालन करना बंद कर दिया है:-

(1) संस्था ने उपविधि में वर्णित प्रावधानों अनुसार संचालक मंडल की बैठकें आयोजित न कर अधिनियम की धारा 49(9) (ए) अनुसार कार्यवृत्त कार्यालय को नहीं भेजा.

(2) संस्था की उपविधि के अंतर्गत वित्तीय वर्ष समाप्ति के 3 माह तक अपने वित्तीय पत्रक तैयार कर जिलाधिकारी को प्रस्तुत नहीं किए.

(3) अधिनियम की धारा 49(1) अनुसार वार्षिक आमसभा का सूचना-पत्र कार्यालय को नहीं भेजा तथा धारा 49(9) (ए) अंतर्गत 30 दिवस के भीतर आमसभा का कार्यवृत्त कार्यालय को नहीं भेजा.

(4) अधिनियम की धारा 56 अनुसार संस्था ने उपविधि के प्रावधानानुसार विवरणियां निर्धारित समयावधि में कार्यालय को प्रेषित नहीं की.

(5) सहकारिता नियम 1962 के नियम 23 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष समाप्ति के पश्चात सूची का प्रकाशन नहीं किया.

(6) सहकारिता नियम 1962 के नियम 51 के अंतर्गत संस्था ने पक्के चिट्ठे का प्रकाशन कर कार्यालय को अवगत नहीं कराया.

उपरोक्त आधारों पर स्पष्ट है कि संस्था द्वारा सहकारिता अधिनियम/नियम/उपविधियों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है और वह अपने गठन के उद्देश्यों एवं सदस्यों के हित के संवर्धन में असफल हो गई है.

अत: मैं, शिवम मिश्रा, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, जबलपुर मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-2-2010/ पन्द्रह-1सी, भोपाल, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयुक्त कर कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करते हुए समिति को अवसर प्रदान करता हूँ कि उपरोक्त के संबंध में मय साक्ष्यों के दिनांक 07 जनवरी, 2020 तक उत्तर प्रस्तुत करें. उत्तर प्राप्त न होने पर अथवा प्राप्त उत्तर से सहमत न होने पर संस्था को परिसमापन में लाये जाने का आदेश पारित कर दिया जायेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 13 दिसम्बर, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा सहित जारी किया गया.

शिवम मिश्रा,
उप-पंजीयक.

(56)

कार्यालय उपायुक्त, सहकारिता, जिला रतलाम

रतलाम, दिनांक 09 दिसम्बर, 2019

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-18 एवं 72 के अंतर्गत]

क्र./परि/2019/2722.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2018/2777, रतलाम, दिनांक 20 दिसम्बर, 2018 के द्वारा मैमुना महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., रतलाम, जिला रतलाम पंजीयन क्रमांक/25, दिनांक 27 मई, 2013 का परिसमापन किये जाने हेतु श्री एन. के. जैन, व.स.नि. को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था. सोसायटी के परिसमापक द्वारा सोसायटी की आस्तियों एवं दायित्वों का निपटारा करने के पश्चात् निरंक स्थिति विवरण पत्रक एवं अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द करने की अनुशंसा की गई है.

सोसायटी के परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अन्तिम प्रतिवेदन एवं सोसायटी के रजिस्ट्रीकरण रद्द करने की अनुशंसा के आधार पर सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द किया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी मध्यप्रदेश भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी समितियॉ, रतलाम को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 एवं 72 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैमुना महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., रतलाम, जिला रतलाम पंजीयन क्रमांक/25, दिनांक 27 मई, 2013 का रजिस्ट्रीकरण रद्द करते हुए सोसायटी के निगमित निकाय अवस्था को समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 09 दिसम्बर, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(57)

रतलाम, दिनांक 09 दिसम्बर, 2019

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-18 एवं 72 के अंतर्गत]

क्र./परि/2019/2723.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2017/260, रतलाम, दिनांक 03 फरवरी, 2017 के द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बोरदा, जिला रतलाम पंजीयन क्रमांक/907, दिनांक 14 अगस्त, 2012 का परिसमापन किये जाने हेतु श्री एन. के. जैन, व.स.नि. को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था. सोसायटी के परिसमापक द्वारा सोसायटी की आस्तियों एवं दायित्वों का निपटारा करने के पश्चात् निरंक स्थिति विवरण पत्रक एवं अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द करने की अनुशंसा की गई है.

सोसायटी के परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अन्तिम प्रतिवेदन एवं सोसायटी के रजिस्ट्रीकरण रद्द करने की अनुशंसा के आधार पर सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द किया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी मध्यप्रदेश भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी समितियॉ, रतलाम को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 एवं 72 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बोरदा, जिला रतलाम पंजीयन क्रमांक/907, दिनांक 14 अगस्त, 2012 का रजिस्ट्रीकरण रद्द करते हुए सोसायटी के निगमित निकाय अवस्था को समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 09 दिसम्बर, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया हैं.

(58)

रतलाम, दिनांक 13 दिसम्बर, 2019

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-18 एवं 72 के अंतर्गत]

इस कार्यालय के संशोधित आदेश क्रमांक/परिसमापन/2018/1815 रतलाम, दिनांक 06 अक्टूबर, 2018 के द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., लसुडिया जंगली, जिला रतलाम पंजीयन क्रमांक/1036, दिनांक 16 फरवरी, 2017 का परिसमापन किये जाने हेतु श्री आशीष लोहरा, स.नि. को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था. सोसायटी के परिसमापक द्वारा सोसायटी की आस्तियों एवं दायित्वों का निपटारा करने के पश्चात् निरंक स्थिति विवरण पत्रक एवं अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द करने की अनुशंसा की गई है.

सोसायटी के परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अन्तिम प्रतिवेदन एवं सोसायटी के रजिस्ट्रीकरण रद्द करने की अनुशंसा के आधार पर सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द किया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी मध्यप्रदेश भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी समितियॉ, रतलाम को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 एवं 72 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., लसुडिया जंगली, जिला रतलाम पंजीयन क्रमांक/1036, दिनांक 16 फरवरी, 2017 का रजिस्ट्रीकरण रद्द करते हुए सोसायटी के निगमित निकाय अवस्था को समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 13 दिसम्बर, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(60)

रतलाम, दिनांक 13 दिसम्बर, 2019

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-18 एवं 72 के अंतर्गत]

इस कार्यालय के संशोधित आदेश क्रमांक/परिसमापन/2017/323 रतलाम, दिनांक 03 फरवरी, 2017 के द्वारा श्री हनुमान बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., करिया, जिला रतलाम पंजीयन क्रमांक/866, दिनांक 12 अप्रैल, 2010 का परिसमापन किये जाने हेतु श्री आर. के. कुमावत, स.नि. को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था. सोसायटी के परिसमापक द्वारा सोसायटी की आस्तियों एवं दायित्वों का निपटारा करने के पश्चात् निरंक स्थिति विवरण पत्रक एवं अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द करने की अनुशंसा की गई है.

सोसायटी के परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अन्तिम प्रतिवेदन एवं सोसायटी के रजिस्ट्रीकरण रद्द करने की अनुशंसा के आधार पर सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द किया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी मध्यप्रदेश भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी समितियॉ, रतलाम को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 एवं 72 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री हनुमान बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., करिया, जिला रतलाम पंजीयन क्रमांक/866, दिनांक 12 अप्रैल, 2010 का रजिस्ट्रीकरण रद्द करते हुए सोसायटी के निगमित निकाय अवस्था को समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 13 दिसम्बर, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(61)

रतलाम, दिनांक 09 दिसम्बर, 2019

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(4) के अंतर्गत]

क्र./परि/2019/2724.—मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) सी/ग के अन्तर्गत सांई बहुद्देश्वर प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., धामनोद पंजीयन क्रमांक-900, दिनांक 27 जनवरी, 2012 को आदेश क्रमांक-1813, दिनांक 06 अक्टूबर, 2018 से परिसमापन में लाया जाकर श्री विकास खराड़े, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

संस्था के सदस्यों के आवेदन प्राप्ति के पश्चात् परिसमापक द्वारा संस्था की आमसभा बुलाई गयी एवं सभा में उपस्थित सदस्यों ने सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पारित किया कि निर्वाचन न कराने पर संस्था को परिसमापन में लाया गया है, उद्देश्यों की पूर्ति के लिये संस्था को पुर्नजीवित किया जाना आवश्यक है.

परिसमापक के आवेदन से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था के सदस्यों के हित में संस्था का अस्तित्व में बने रहना आवश्यक है. उक्त के प्रकाश में यह प्रतीत होता है कि संस्था को पुनर्जीवित किया जावे.

अत: मैं, परमानंद गोडरिया, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला रतलाम, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक

एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(4) के अन्तर्गत सांई बहुद्देश्वर प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., धामनोद पंजीयन क्रमांक-900, दिनांक 27 जनवरी, 2012 का परिसमापन आदेश निरस्त करता हूँ एवं संस्था के कार्यसंचालन के लिये श्री निखिल शर्मा, श्री महेश मालवीय एवं श्री शुभम शर्मा की तीन सदस्यीय कमेटी नियुक्त करता हूँ तथा उन्हें निर्देशित किया जाता है कि तीन माह में संस्था के संचालक मण्डल के निर्वाचन संपन्न कराने के लिये आवेदन कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 09 दिसम्बर, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

परमानन्द गोडरिया,

(59) उप-पंजीयक.

कार्यालय, परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, सहकारी समितियां, रायसेन

रायसेन, दिनांक 23 दिसम्बर, 2019

क्र./परि./2019/1242.—कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला रायसेन के निम्नानुसार परिसमापक आदेश के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज नियम-1962 के नियम-57(ग) के अंतर्गत निम्नांकित संस्थाओं के मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर मुझे धारा-70(1) के अंतर्गत आदेश/संशोधित आदेश के तहत् मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	परिसमापित संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक व दिनांक	विकासखण्ड
1.	सुभाष गृह निर्माण सह. संस्था मर्या., रायसेन	326/15-06-1984	866/28-05-2014	सांची
2.	मुखर्जी नगर गृह निर्माण सह. संस्था मर्या., रायसेन	12/24-02-1965	565/28-05-2014	सांची
3.	महिला बहु. सह. संस्था मर्या., मेहगॉव	911/18-02-2005	13/08-01-2015	सांची

अत: मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम-1960 की नियम-57(ग) के अंतर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों के सूचना प्रकाशन के दिनांक से 60 दिवस के अंदर मय साक्ष्य के यदि कोई हो तो मुझे इस कार्यालय उपायुक्त सहकारिता, जिला रायसेन में उपस्थित होकर लिखितरूप से सहप्रमाण प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में किसी भी बंटवारे से वंचित होने के लिए संबंधित दावेदार स्वयं उत्तरदायी होंगे. यदि 60 दिवस की अवधि में किसी दावेदार ने अपना दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा मान्य नहीं किया जावेगा तथा संस्थाओं की लेखापुस्तकों में समस्त लेखाबद्ध दायित्व मुझे स्वमेव प्रस्तुत किये समझे जावेगें.

आज दिनांक 23 दिसम्बर, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से आदेश जारी किया गया है.

ओ. पी. राय,

(62) परिसमापक एवं वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक.

कार्यालय, परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, सहकारी समितियाँ, रायसेन

रायसेन, दिनांक 23 दिसम्बर, 2019

क्र./परि./2019/1243.—कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला रायसेन के निम्नानुसार परिसमापक आदेश के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज नियम-1962 के नियम-57(ग) के अंतर्गत निम्नांकित संस्थाओं के मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर मुझे धारा-70(1) के अंतर्गत आदेश/संशोधित आदेश के तहत् मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	परिसमापित संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक व दिनांक	विकासखण्ड
1.	बुनकर सह. संस्था मर्या., गगनबाड़ा	1417/24-11-2009	198/30-07-1993	बाड़ी
2.	जामवंत बुनकर सह. संस्था मर्या., जामगढ़	316/05-03-1983	1207/29-08-2001	बाड़ी

अत: मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम-1960 की नियम-57(ग) के अंतर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों के सूचना प्रकाशन के दिनांक से 60 दिवस के अंदर मय साक्ष्य के यदि कोई हो तो मुझे इस कार्यालय उपायुक्त सहकारिता, जिला रायसेन में उपस्थित होकर लिखितरूप से सहप्रमाण प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में किसी भी बंटवारे से वंचित होने के लिए संबंधित दावेदार स्वयं उत्तरदायी होंगे. यदि 60 दिवस की अवधि में किसी दावेदार ने अपना दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा मान्य नहीं किया जावेगा तथा संस्थाओं की लेखापुस्तकों में समस्त लेखाबद्ध दायित्व मुझे स्वमेव प्रस्तुत किये समझे जावेगें.

आज दिनांक 23 दिसम्बर, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से आदेश जारी किया गया है.

एस. के. सनमारे,

(63) परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक.

कार्यालय, परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, सहकारी समितियां, रायसेन

रायसेन, दिनांक 23 दिसम्बर, 2019

क्र./परि./2019/1244.—कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला रायसेन के निम्नानुसार परिसमापक आदेश के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज नियम-1962 के नियम-57(ग) के अंतर्गत निम्नांकित संस्थाओं के मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर मुझे धारा-70(1) के अंतर्गत आदेश/संशोधित आदेश के तहत् मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	परिसमापित संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक व दिनांक	विकासखण्ड
1.	महिला दुग्ध उत्पा. सह. संस्था, हिनोतिया	711/04-04-2001	1319/10-09-2013	औ. गंज
2.	आदर्श मत्स्य सह. संस्था, देहगांव	1014/13-02-2013	1297/08-09-2014	बेगमगंज
3.	नीलकंठेश्वर बुनकर सह. संस्था मर्या., हरदौट	318/12-03-1983	1157/28-08-2001	गैरतगंज
4.	तिलेण्डी मत्स्य सह. संस्था मर्या., तिलेण्डी	1074/12-01-2014	1095/19-11-2019	औ. गंज

अत: मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम-1960 की नियम-57(ग) के अंतर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों के सूचना प्रकाशन के दिनांक से 60 दिवस के अंदर मय साक्ष्य के यदि कोई हो तो मुझे इस कार्यालय उपायुक्त सहकारिता, जिला रायसेन में उपस्थित होकर लिखितरूप से सहप्रमाण प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में किसी भी बंटवारे से वंचित होने के लिए संबंधित दावेदार स्वयं उत्तरदायी होंगे. यदि 60 दिवस की अवधि में किसी दावेदार ने अपना दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा मान्य नहीं किया जावेगा तथा संस्थाओं की लेखापुस्तकों में समस्त लेखाबद्ध दायित्व मुझे स्वमेव प्रस्तुत किये समझे जावेगें.

आज दिनांक 23 दिसम्बर, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से आदेश जारी किया गया है.

अनिमा मिंज,
परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक.

(64)

कार्यालय, परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, सहकारी समितियां, रायसेन

रायसेन, दिनांक 23 दिसम्बर, 2019

क्र./परि./2019/1245.—कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाऐं, जिला रायसेन के निम्नानुसार परिसमापक आदेश के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज नियम-1962 के नियम-57(ग) के अंतर्गत निम्नांकित संस्थाओं के मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर मुझे धारा-70(1) के अंतर्गत आदेश/संशोधित आदेश के तहत् मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	परिसमापित संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक व दिनांक	विकासखण्ड
1.	भगवती बीज उत्पा. सह. संस्था मर्या., लामटा	967/12-03-2010	861/28-08-2014	उदयपुरा
2.	माँ नर्मदा मत्स्य, रिछावर	926/14-07-2005	1749/30-12-2014	उदयपुरा
3.	रेडमा बीज उत्पा. सह. संस्था मर्या., चिचोली	981/19-09-2011	1167/23-07-2014	सिलवानी
4.	बीज उत्पा. सह. संस्था, खमरियाकलॉ	949/11-10-2007	1169/23-07-2014	सिलवानी

अत: मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम-1960 की नियम-57(ग) के अंतर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों के सूचना प्रकाशन के दिनांक से 60 दिवस के अंदर मय साक्ष्य के यदि कोई हो तो मुझे इस कार्यालय उपायुक्त सहकारिता, जिला रायसेन में उपस्थित होकर लिखितरूप से सहप्रमाण प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में किसी भी बंटवारे से वंचित होने के लिए संबंधित दावेदार स्वयं उत्तरदायी होंगे. यदि 60 दिवस की अवधि में किसी दावेदार ने अपना दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा मान्य नहीं किया जावेगा तथा संस्थाओं की लेखापुस्तकों में समस्त लेखाबद्ध दायित्व मुझे स्वमेव प्रस्तुत किये समझे जावेगें.

आज दिनांक 23 दिसम्बर, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से आदेश जारी किया गया है.

प्रमोद इरपांचे,
परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक.

(65)

कार्यालय, परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, सहकारी समितियां, रायसेन

रायसेन, दिनांक 23 दिसम्बर, 2019

क्र./परि./2019/1246.—कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाऐं, जिला रायसेन के निम्नानुसार परिसमापक आदेश के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज नियम-1962 के नियम-57(ग) के अंतर्गत निम्नांकित संस्थाओं के मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की

धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर मुझे धारा-70(1) के अंतर्गत आदेश/संशोधित आदेश के तहत् मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	परिसमापित संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक व दिनांक	विकासखण्ड
1.	दुग्ध उत्पा. सह. संस्था, छींद	631/09-12-1997	1126/30-07-2011	बाड़ी
2.	दुग्ध उत्पा. सह. संस्था, खेरीमुगली	787/27-06-2002	618/29-03-2017	बाड़ी

अत: मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम-1960 की नियम-57(ग) के अंतर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों के सूचना प्रकाशन के दिनांक से 60 दिवस के अंदर मय साक्ष्य के यदि कोई हो तो मुझे इस कार्यालय उपायुक्त सहकारिता, जिला रायसेन में उपस्थित होकर लिखितरूप से सहप्रमाण प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में किसी भी बंटवारे से वंचित होने के लिए संबंधित दावेदार स्वयं उत्तरदायी होंगे. यदि 60 दिवस की अवधि में किसी दावेदार ने अपना दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा मान्य नहीं किया जावेगा तथा संस्थाओं की लेखापुस्तकों में समस्त लेखाबद्ध दायित्व मुझे स्वमेव प्रस्तुत किये समझे जावेगें.

आज दिनांक 23 दिसम्बर, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से आदेश जारी किया गया है.

एम. पी. वर्मा,

(66) परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक.

कार्यालय उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी, जिला धार

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/09 धार, दिनांक 02 जनवरी, 2019 के द्वारा भरूड़ साख सहकारी संस्था मर्या., गुलझरा, जिला धार (म.प्र.) जिसका पंजीयन क्रमांक 1486, दिनांक 08 जनवरी, 2014 है को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाई जाकर धारा-70(1) के अंतर्गत श्री बबलू चौहान, स.नि. को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक श्री बबलू चौहान, स.नि. द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के नियुक्त परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँची हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, भारती शेखावत, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी, जिला धार मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/एफ-05-01-99 पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधि नियम, 1960 की धारा-18(1) के अंतर्गत भरूड़ साख सहकारी संस्था मर्या., गुलझरा, जिला धार (म.प्र.) का पंजीयन निरस्त करती हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 16 दिसम्बर, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(67)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/131 धार, दिनांक 22 अगस्त, 2016 के द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., करनावद, जिला धार (म.प्र.) जिसका पंजीयन क्रमांक 1555, दिनांक 10 अक्टूबर, 2014 है को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाई जाकर धारा-70(1) के अंतर्गत श्री अशोक कुमार गुप्ता, स.नि. को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक श्री अशोक कुमार गुप्ता, स.नि. द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के नियुक्त परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँची हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, भारती शेखावत, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी, जिला धार मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/एफ-05-01-99 पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अंतर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., करनावद, जिला धार (म.प्र.) का पंजीयन निरस्त करती हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 16 दिसम्बर, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया हैं.

(68)

धार, दिनांक 16 दिसम्बर, 2019

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69(4) के अंतर्गत]

क्र./परि/2019/2497.—आदिवासी मत्स्य सहकारी संस्था मर्या., भीलकुंडा, जिला धार पंजीयन क्रमांक 1039, दिनांक 28 मार्च, 2009 है, का कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/1483/23 जुलाई, 2019 धार, दिनांक..... अनुसार परिसमापन में लाई जाकर श्री रमेश पेंढारकर, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त किया गया था.

समिति के परिसमापक द्वारा समिति के कार्यशील बनाने के लिए आवश्यक कार्यवाही की जाकर समिति को पुनर्जीवित करने का प्रस्ताव अनुशंसा सहित इस कार्यालय को प्रस्तुत किया है.

प्रस्ताव का परीक्षण करने पर पाया गया है कि समिति कार्यशील होकर एक सक्षम ईकाई के रूप में कार्य करने में सक्षम हो सकेगी एवं समिति को पुनर्जीवित करना प्रतीत होता है.

अत: मैं, भारती शेखावत, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी, जिला धार मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(4) के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदिवासी मत्स्य सहकारी संस्था मर्या., भीलकुंडा, जिला धार को पुनर्जीवित करती हूँ. समिति के कार्य संचालन हेतु कामकाज कमेटी तीन माह के लिये नियुक्त करती हूँ.

क्र.	नाम	पद
1.	श्री छोगालाल रालिया	अध्यक्ष
2.	श्री कथरूलाल लालजी	उपाध्यक्ष
3.	श्री सुंदरलाल मलया	सदस्य
4.	श्री घेघरया सिद्धु	सदस्य
5.	श्री नानुराम सिद्धु	सदस्य
6.	श्री हरेसिंह सुन्दरलाल	सदस्य
7.	श्री नागुसिंह सुन्दरलाल	सदस्य
8.	श्री हिरालाल गलया	सदस्य
9.	श्री आपसिंह लालजी	सदस्य

यह आदेश आज दिनांक 16 दिसम्बर, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

भारती शेखावत,
उप-रजिस्ट्रार.

(69)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा

विदिशा, दिनांक 12 दिसम्बर, 2019

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2019/1188.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/2016/960, विदिशा, दिनांक 23 सितम्बर, 2016 से निशादराज मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्या., सत्ताखेडी, जाजौन, जिला विदिशा को परिसमापन में लाया गया था.

संस्था के परिसमापक द्वारा संस्था को पुर्नजीवित करने के लिए प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. अत: परिसमापक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के अवलोकन से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँची हूँ कि संस्था को पुनर्जीवित किया जाना संस्था सदस्यों के हित में है.

अत: मैं, श्रीमती सूरेखा अहिरवार, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(4) तथा मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-एक-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अंतर्गत निशादराज मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्या., सत्ताखेडी, जाजौन, जिला विदिशा पंजीयन क्रमांक/ए.आर./व्ही.डी. एस./557, दिनांक 20 मई, 1998 को पुनर्जीवित करती हूँ.

उपरोक्त सहकारी संस्था के संचालक मण्डल का निर्वाचन होने तक कार्य संचालन हेतु निम्नलिखित व्यक्तियों की समिति अस्थायी रूप से नामांकित की जाती है.

1.	श्री मोहन लाल	अध्यक्ष	6.	बलराम	संचालक
2.	श्री लखन लाल	उपाध्यक्ष	7.	श्रीमती गणेशीबाई	संचालक
3.	श्री प्रहलादसिंह	संचालक	8.	श्री भीकम	संचालक
4.	श्रीमती पार्वतीबाई	संचालक	9.	श्री कमलसिंह	संचालक
5.	श्रीमती हरबाई	संचालक	10.	श्री शंकर लाल	संचालक

संस्था के लिए यह बाध्य कर होगा कि वह एक सप्ताह में निर्वाचन प्रस्ताव प्रस्तुत कर तीन माह के अन्दर निर्वाचन सम्पन्न करायें.

यह आदेश आज दिनांक 12 दिसम्बर, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(70)

विदिशा, दिनांक 12 दिसम्बर, 2019

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2019/1189.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/2016/601, विदिशा, दिनांक 30 अप्रैल, 2016 से मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्या., कबूला, जिला विदिशा को परिसमापन में लाया गया था.

संस्था के परिसमापक द्वारा संस्था को पुर्नजीवित करने के लिए प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. अत: परिसमापक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के अवलोकन से मैं इस निष्कर्ष पर पहुॅची हूँ कि संस्था को पुनर्जीवित किया जाना संस्था सदस्यों के हित में है.

अत: मैं, श्रीमती सूरेखा अहिरवार, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(4) तथा मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-एक-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अंतर्गत मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्या., कबूला, जिला विदिशा पंजीयन क्रमांक/डी.आर./व्ही.डी.एस./588, दिनांक 15 नवम्बर, 1999 को पुनर्जीवित करती हूँ.

उपरोक्त सहकारी संस्था के संचालक मण्डल का निर्वाचन होने तक कार्य संचालन हेतु निम्नलिखित व्यक्तियों की समिति अस्थायी रूप से नामांकित की जाती है.

1.	सादिक/महबूब खां	अध्यक्ष	7.	इमरान/अजीज खां	संचालक
2.	अरमान/अजीज खां	उपाध्यक्ष	8.	मूबीन/अजगर खां	संचालक
3.	हारून/इशाक खां	उपाध्यक्ष	9.	शाहिद खां/महबूब खां	संचालक
4.	महबूब खां/भालखां	संचालक	10.	तमजीदबी/सादिक खां	संचालक
5.	कययूम/शकील खां	संचालक	11.	अमरीन बी/शाहिद खां	संचालक
6.	मशकूर/महबूब खां	संचालक			

संस्था के लिए यह बाध्य कर होगा कि वह एक सप्ताह में निर्वाचन प्रस्ताव प्रस्तुत कर तीन माह के अन्दर निर्वाचन सम्पन्न करायें.

यह आदेश आज दिनांक 12 दिसम्बर, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(71)

विदिशा, दिनांक 12 दिसम्बर, 2019

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2019/1190.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/2016/603, विदिशा, दिनांक 30 अप्रैल, 2016 से मत्स्य सहकारी संस्था मर्या., सिलपरी, जिला विदिशा को परिसमापन में लाया गया था.

संस्था के परिसमापक द्वारा संस्था को पुर्नजीवित करने के लिए प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. अत: परिसमापक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के अवलोकन से मैं इस निष्कर्ष पर पहुॅची हूँ कि संस्था को पुनर्जीवित किया जाना संस्था सदस्यों के हित में है.

अत: मैं, श्रीमती सूरेखा अहिरवार, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(4) तथा मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-एक-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अंतर्गत मत्स्य सहकारी संस्था मर्या., सिलपरी, जिला विदिशा पंजीयन क्रमांक/डी.आर./व्ही.डी.एस./590, दिनांक 02 मार्च, 2000 को पुनर्जीवित करती हूँ.

उपरोक्त सहकारी संस्था के संचालक मण्डल का निर्वाचन होने तक कार्य संचालन हेतु निम्नलिखित व्यक्तियों की समिति अस्थायी रूप से नामांकित की जाती है.

1.	भूरा जी/नाथूराम	अध्यक्ष	7.	बन्ने खां/मालखां	संचालक
2.	कृष्णाबाई/हमीरसिंह	उपाध्यक्ष	8.	हल्के राम/उमराव सिंह	संचालक
3.	ममताबाई/सजीवन	उपाध्यक्ष	9.	दशरथ सिंह/नाथूराम	संचालक
4.	मर्रदन/तूरन सिंह	संचालक	10.	गोपाल सिंह/चन्दन सिंह	संचालक
5.	हरी सिंह/रामचरण	संचालक	11.	दीनदयान/पूरन सिंह	संचालक
6.	राजाराम/मिठठूलाल	संचालक			

संस्था के लिए यह बाध्य कर होगा कि वह एक सप्ताह में निर्वाचन प्रस्ताव प्रस्तुत कर तीन माह के अन्दर निर्वाचन सम्पन्न करायें.

यह आदेश आज दिनांक 12 दिसम्बर, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(72)

विदिशा, दिनांक 12 दिसम्बर, 2019

क्र./परि./2019/1191.-इस कार्यालय के आदेश क्र/परिसमापन/2017/1967, विदिशा, दिनांक 30 दिसम्बर, 2017 से श्री आदर्श साख सहकारी संस्था मर्या., विदिशा, जिला विदिशा जिसका पंजीयन क्र. डी.आर./व्ही.डी.एस./1072, दिनांक 31 जनवरी, 2017 को परिसमापन में लाया जाकर श्री के. एम. अग्रवाल, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

समापक श्री आदर्श साख सहकारी संस्था मर्या., विदिशा, जिला विदिशा की परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर संस्था का अंतिम प्रतिवेदन संस्था का पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा के साथ प्रस्तुत किया गया है.

मैं, समापक के द्वारा की गई कार्यवाही का अवलोकन करने के पश्चात् इस निष्कर्ष पर पहुँची हूं कि उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है.

अत: मैं, श्रीमती सुरेखा अहिरवार, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ 5-1-99-एक-पन्द्रह-1 सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री आदर्श साख सहकारी संस्था मर्या., विदिशा, जिला विदिशा जिसका पंजीयन क्र. डी.आर./व्ही. डी.एस./1072, दिनांक 31 जनवरी, 2017 का पंजीयन निरस्त करते हुए उसका निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) इस आदेश दिनांक को समाप्त करती हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 12 दिसम्बर, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

सुरेखा अहिरवार,
उप-पंजीयक.

(73)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला बुरहानपुर

बुरहानपुर, दिनांक 28 दिसम्बर, 2019

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2019/1822.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/विधि/2017/66, बुरहानपुर, दिनांक 07 जनवरी, 2017 के द्वारा राधास्वामी फसल सुरक्षा सहकारी समिति मर्या., झिरपांजरिया, तहसील बुरहानपुर, जिला बुरहानपुर जिसका पंजीयन क्रमांक 2025, दिनांक 20 अप्रैल, 2007 है, जो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री टी. आर. सावले, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण, अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण-पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई है.

अत: मैं, जे. एल. बरडे, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बुरहानपुर मध्यप्रदेश सहकारी समितियां, अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 अन्तर्गत प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 28 दिसम्बर, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(74)

बुरहानपुर, दिनांक 28 दिसम्बर, 2019

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2019/1823.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/विधि/2014/607 बुरहानपुर, दिनांक 24 जुलाई, 2014 के द्वारा फसल सुरक्षा सहकारी समिति मर्या., नसीराबाद, तहसील बुरहानपुर, जिला बुरहानपुर जिसका पंजीयन क्रमांक 2022, दिनांक 20 अप्रैल, 2007 है, जो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री टी. आर. सावले, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण, अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण-पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई है.

अत: मैं, जे. एल. बरडे, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बुरहानपुर मध्यप्रदेश सहकारी समितियां, अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 अन्तर्गत प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 28 दिसम्बर, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(75)

बुरहानपुर, दिनांक 28 दिसम्बर, 2019

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2019/1824.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/विधि/2014/617, बुरहानपुर, दिनांक 24 जुलाई, 2014 के द्वारा श्री माँ भगवती महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., चिंचाला, तहसील बुरहानपुर, जिला बुरहानपुर जिसका पंजीयन क्रमांक 1924, दिनांक 28 अप्रैल, 2004 है, जो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री पी. एम. सोनवणे, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण, अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण-पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई है.

अत: मैं, जे. एल. बरडे, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बुरहानपुर मध्यप्रदेश सहकारी समितियां, अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 अन्तर्गत प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 28 दिसम्बर, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(76)

बुरहानपुर, दिनांक 28 दिसम्बर, 2019

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2019/1826.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/विधि/2015/676, बुरहानपुर, दिनांक 19 अक्टूबर, 2015 के द्वारा हर्ष पावरलूम बुनकार सहकारी समिति मर्या., बुरहानपुर, तहसील बुरहानपुर, जिला बुरहानपुर जिसका पंजीयन क्रमांक 1903, दिनांक 16 फरवरी, 2004 है, जो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री चन्द्रेश पटेल, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण, अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण-पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई है.

अत: मैं, जे. एल. बरडे, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बुरहानपुर मध्यप्रदेश सहकारी समितियां, अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 अन्तर्गत प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 28 दिसम्बर, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

जे. एल. बरडे,
उप-पंजीयक.

(78)

कार्यालय, परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, सहकारी संस्थाएं, जिला देवास

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत]

उप/सहायक पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला देवास द्वारा निम्नलिखित सहकारी संस्था को परिसमापन में लाया जाकर

धारा-70 (1) के अन्तर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापन क्रमांक व दिनांक
1.	एम. पी. साख सह. संस्था मर्या., देवास	1124/15-05-2006	2250/02-08-2018

सहकारी अधिनियम की धारा-71 (1) के अन्तर्गत परिसमापन दिनांक से संस्था की समस्त आस्तिंया परिसमापक में वेष्ठित हो गई हैं. अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत उक्त सहकारी संस्था के विरुद्ध दावों को इस सूचना-पत्र के जारी करने के दिनांक से 60 दिवस के अन्दर मय प्रमाण के यदि कोई हो तो लिखितरूप से मेरे कार्यालय सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, ए. बी. रोड, देवास में कार्यालयीन दिवसों से दोपहर 12.00 बजे से 2.00 बजे तक प्रस्तुत करें, त्रुटि की दशा में साहूकारगण/दावेदारगण/सदस्यगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने से दायित्वाधीन होंगे, समयावधि उपरान्त उनके कोई दावे एवं आपत्तियां मान्य नहीं होंगी तथा संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध दायित्व स्वयमेव मुझे प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यदि उक्त संस्था के अभिलेख या आस्तियां, डेड स्टॉक संस्था का रिकार्ड किसी के पास हो तो अविलम्ब अधोहस्ताक्षरकर्ता को सौपें यदि बाद में ज्ञात होता है कि किसी के द्वारा जानबूझकर आस्तियों या अभिलेख एवं रिकार्ड, डेड स्टॉक नहीं सौपें गये हैं तो संबंधित के विरुद्ध उनकी वसूलने हेतु विधिवत वैधानिक कार्यवाही की जावेगी, जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी संबंधित की रहेगी.

यदि उक्त संस्था के अभिलेख एवं आस्तियां समस्त प्रयासों के बावजूद भी प्राप्त नहीं होती हैं तो दावेदारों/साहूकारों/सदस्यों के दावे, आपत्तियों का निराकरण गत वर्षों के वित्तीय पत्रकों में दशाई गई लेनदारी एवं देनदारी की प्रविष्टियां बोगस/शून्यकाल मानकर तदानुसार पंजीयन निरस्ती हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही की जावेगी.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 06 नवम्बर, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी की गई है.

तरूणा ठाकुर,

(17) परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक.

कार्यालय, परिसमापक सहकारी संस्थाएं, धार, जिला धार

धार, दिनांक 01 नवम्बर, 2019

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57(1) (सी/ग) के अंतर्गत]

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, धार, जिला धार के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत निम्न सहकारी संस्था को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापक नियुक्ति आदेश क्रमांक/दिनांक
1.	जलखा हरिजन मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्या., मनावर	755/07-05-1990	2654/10-08-2018

उक्त सहकारी संस्था का पूर्व परिसमापक/अध्यक्ष/सचिव से मुझे किसी भी प्रकार का रिकार्ड दस्तावेज आदि का चार्ज प्राप्त नहीं हुआ है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1960 के नियम, 57 (1) (सी/ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दो माह के अंदर मय प्रमाण के मुझे लिखित रूप में प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में सदस्यगण/साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा.„संस्था की लेखा पुस्तिकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

आज दिनांक 01 नवम्बर, 2019 को मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई.

राजाराम बघेल,

(18) परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक.

कार्यालय डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला होशंगाबाद

होशंगाबाद, दिनांक 30 दिसम्बर, 2019

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2019/2417.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/1057, दिनांक 10 सितम्बर, 2013 के द्वारा परिसमापन दुर्गा महिला साख सहकारी समिति मर्यादित, सिलारी, जिला होशंगाबाद पंजीयन क्रमांक/3299, दिनांक 29 अक्टूबर, 2016 है (जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है) को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत श्री डी. पी. पाल, परिसमापक एवं उप अंकेक्षक, कार्यालय उप आयुक्त, सहकारिता, जिला होशंगाबाद को परिसमापक नियुक्त किया गया है.

परिसमापक द्वारा संस्था के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अपने अभिमत सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के परिसमापक द्वारा की गई कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि परिसमापित संस्था की लेनदारी-देनदारी का निपटारा हो जाने से संस्था की बैलेंस सीट निरंक हो गई तथा अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत हो जाने से संस्था को अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं रह गया है. इसलिये संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के तहत रजिस्ट्रार को प्रदत्त शक्तियाँ जो मुझे विहित है का प्रयोग करते हुए मैं, श्री बी. एस. परते, डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद, द्वारा परिसमापन दुर्गा महिला साख सहकारी समिति मर्यादित, सिलारी, जिला होशंगाबाद पंजीयन क्रमांक/3299, दिनांक 29 अक्टूबर, 2016 के निगमित निकाय (कार्पोरेट बॉडी) को विघटित कर संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 30 दिसम्बर, 2019 को मेरे हस्ताक्षर कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(89)

होशंगाबाद, दिनांक 30 दिसम्बर, 2019

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2019/2418.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/86, दिनांक 30 जनवरी, 2016 के द्वारा परिसमापन माँ भवानी साख सहकारी समिति मर्यादित, जावली, जिला होशंगाबाद पंजीयन क्रमांक/3311, दिनांक 29 अक्टूबर, 2016 है (जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है) को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत श्री सुधीर मौने, परिसमापक एवं उप अंकेक्षक, कार्यालय उप आयुक्त, सहकारिता, जिला होशंगाबाद को परिसमापक नियुक्त किया गया है.

परिसमापक द्वारा संस्था के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अपने अभिमत सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के परिसमापक द्वारा की गई कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि परिसमापित संस्था की लेनदारी-देनदारी का निपटारा हो जाने से संस्था की बैलेंस सीट निरंक हो गई तथा अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत हो जाने से संस्था को अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं रह गया है. इसलिये संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के तहत रजिस्ट्रार को प्रदत्त शक्तियाँ जो मुझे विहित है का प्रयोग करते हुए मैं, श्री बी. एस. परते, डिप्टी रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद, द्वारा परिसमापन माँ भवानी साख सहकारी समिति मर्यादित, जावली, जिला होशंगाबाद पंजीयन क्रमांक/3311, दिनांक 29 अक्टूबर, 2016 के निगमित निकाय (कार्पोरेट बॉडी) को विघटित कर संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 30 दिसम्बर, 2019 को मेरे हस्ताक्षर कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

बी. एस. परते,
डिप्टी रजिस्ट्रार.

(90)

कार्यालय, परिसमापक मध्यप्रदेश राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्या., भोपाल

दिनांक 31 दिसम्बर, 2019

क्र./लेखा-वित्त./699.—आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश भोपाल के आदेश क्र.भूविअ/01/परि./133, दिनांक 22 मार्च, 2016 के द्वारा मध्यप्रदेश राज्य सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत मध्यप्रदेश राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्या., 8, अरेरा हिल्स, भोपाल को परिसमापन में लाया गया है, जिसका राजपत्र में प्रकाशन कराया जाकर आपत्तियां एवं दावे आमंत्रित किये गये, प्राप्त आपत्तियों एवं दावों का विधिसम्मत निराकरण पश्चात् शेष रही देयताओं के भुगतान का प्राथमिकता क्रम संलग्न परिशिष्ट (अ) अनुसार किया जाता है :—

क्र.	मद	राशि (लाखों में)
1.	बैंक को प्राप्त ग्रेच्युटी एवं समूह बीमा की भुगतान योग्य राशि	46.54
2.	अंकेक्षण शुल्क (सहकारिता विभाग)	383.14
3.	राज्य शासन की गारंटी पर मध्यप्रदेश राज्य सहकारी बैंक मर्या., भोपाल से ली गई साख सुविधा.	1847.23

क्र.	मद	राशि (लाखों में)
4.	कोलेटरल प्रतिभूति पर मध्यप्रदेश राज्य सहकारी बैंक मर्या., भोपाल से ली गई साख सुविधा.	3143.87
5.	प्रथमतः राज्य शासन द्वारा नाबार्ड ऋणपत्र भुगतान हेतु प्रदाय ऋण	164990.57
6.	राज्य विकास बैंक द्वारा जारी ऋणपत्रों में राज्य शासन की योगदान राशि	5647.90
7.	ऋणपत्रों में केन्द्र शासन का योगदान	5794.60
8.	असिस्टेन्ट कमिश्नर इनकम टैक्स-1(1) भोपाल	180.39
9.	सिक्योरिटी (भवन किराये के प्रति धरोहर राशि)	43.62
10.	जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या., भोपाल की निक्षेप राशि	1588.00
11.	निक्षेप-जिला विकास बैंक	35.18
12.	अप्रयुक्त दावे भारत शासन/नाबार्ड को वापसी योग्य राशि	23.14
13.	निक्षेप-छत्तीसगढ़ राज्य विकास बैंक	214.78
14.	मण्डी बोर्ड के ऋण की ब्याज राशि	423.75
15.	अंशपूँजी-	3495.98
	अ. राज्य शासन रु. 275.17	
	ब. जिला बैंक रु. 3220.56	
	स. अन्य रु. 0.25	

टीपः-

1. उक्त देयताओं में सेवायुक्तों की ग्रेच्युटी/समूह बीमा की राशि एल.आई.सी. से प्राप्त होकर ग्रुप ग्रेच्युटी खाते में जमा है, औपचारिकताऐं पूर्ण होने पर उन्हें भुगतान किया जावेगा. बैंक सेवायुक्तों की सेवानिवृत्ति पर देय एवं आगे देय ग्रेच्युटी राशि भारतीय जीवन बीमा में विनियोजित है जिसे सेवायुक्तों की सेवानिवृत्ति पर एल.आई.सी. से प्राप्त किया जाकर भुगतान किया जावेगा. सेवायुक्तों की देयताओं का भुगतान प्रथम प्राथमिकता पर किया जा सकेगा.
2. छत्तीसगढ़ राज्य विकास बैंक की राशि रु. 214.78 लाख समायोजन खाते की दर्शित राशि है. जिसके दावा का मिलान लम्बित हैं.

यह आदेश आज दिनांक 31 दिसम्बर, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

बी. एस. शुक्ल,
परिसमापक.

(79)

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन-सामग्री, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा प्रकाशित तथा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, ग्वालियर द्वारा मुद्रित-2020.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 3] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 17 जनवरी, 2020-पौष 27, शके 1941

भाग 3 (2)

सांख्यिकीय सूचनाएं

कार्यालय आयुक्त, भू-अभिलेख एवं बन्दोबस्त, मध्यप्रदेश

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 30 अक्टूबर, 2019

1. **मौसम एवं वर्षा.**—प्राय: राज्य में मौसम शुष्क रहा. कुछ जिलों में वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है. संलग्न सांख्यिकी सूचना-1 में जिलों की तहसीलों के सामने वर्षा मिलीमीटर में प्रतिवेदित की गई है.

2. **प्रारम्भिक जुताई पर वर्षा का प्रभाव :-** कोई प्रभाव नहीं.

3. **बोनी पर वर्षा का प्रभाव :-** कोई प्रभाव नहीं.

4. **धान रोपाई पर वर्षा का प्रभाव :-** कोई प्रभाव नहीं.

5. **खड़ी फसल पर रोग व कीड़ों का प्रभाव :-** कोई प्रभाव नहीं.

6. **कटी हुई फसल पर वर्षा का प्रभाव :-**जिला बड़वानी, बुरहानपुर व छिन्दवाड़ा में प्रभाव है.

7. **अन्य असामयक घटना से क्षति :-** कोई प्रभाव नहीं.

8. **फसल स्थिति :-**जिलों से प्राप्त पत्रकों में कुछ जिलों में फसल स्थिति बिगड़ी हुई तथा शेष जिलों में सन्तोषप्रद रहना प्रतिवेदित किया गया है.

9. **सिंचाई:-** राज्य के कुछ जिलों में सिंचाई हेतु पानी अपर्याप्त मात्रा में प्रतिवेदित किया गया है. संबंधित जिलों के सामने सांख्यिकी सूचना-1 में प्रतिवेदित किया गया है.

10. **पशुओं की स्थिति:-** राज्य के जिलों से प्राप्त पत्रकों में पशुओं की स्थिति सन्तोषप्रद रहना प्रतिवेदित किया गया है.

11. **चारा :-** राज्य के जिलों से प्राप्त पत्रकों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहना प्रतिवेदित किया गया है.

12. **बीज:-** राज्य के जिलों से प्राप्त पत्रकों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है.

13. **खेतिहर श्रमिक :-** राज्य के जिलों से प्राप्त पत्रकों में खेतिहर श्रमिक उचित दर पर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है.

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक-1, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 30 अक्टूबर, 2019

क्र.	जिला	तहसील	सप्ताह में वर्षा जो हुई मि. मी. वर्षा कम/अधिक.		कृषि कार्यों, प्रारम्भिक जुताई, बोनी पर (रोपाई) पर (धान) कटी हुई	खड़ी फसल पर रोग व कीड़ों के आक्रमण का प्रभाव.	y;	क्षति प्रतिशत में	जिले की गत वर्ष की फसल की तुलना में चालू वर्ष की खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान फसल का क्षेत्रफल-समान या कम प्रतिशत फसल की हालत-समान, बिगड़ी या सुधरी प्रतिशत							5. सिंचाई के लिये पानी पर्याप्त या अपर्याप्त. 6 (अ) चारे की प्राप्ति. 6 (ब) पशुओं की हालत			(7) बीज की प्राप्ति कृषि सम्बन्धी. (8) मजदूरों की प्राप्ति	
1	2	3	4		5	5 (ब)	6	7	8							9			10	
1.	**मुरैना :**		. .	. .	. .	. .	. .	. .		तुअर	. .	कम	5%	समान	. .	5. पर्याप्त.	6.(अ)संतोषजनक,	6.(ब)अच्छी.	7. पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
		अम्बाह	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		पोरसा	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		मुरैना	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		जौरा	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		कैलारस	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		सबलगढ़	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
2.	**श्योपुर :**		. .	. .	. .	. .	. .	. .	धान	. .	. .	अधिक	5%	सुधरी हुई	. .	5. पर्याप्त.	6.(अ)संतोषजनक,	6.(ब)अच्छी.	7. . .	8. पर्याप्त.
		श्योपुर	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		कराहल	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		विजयपुर	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		वीरपुर	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		बडोदा	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
3.	**भिण्ड :**		. .	. .	जुताई चालू	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	5. पर्याप्त.	6.(अ)संतोषजनक,	6.(ब)अच्छी.	7. पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
		अटेर	. .	. .	बोनी चालू	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		भिण्ड	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		गोहद	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		मेहगांव	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		लहार	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		रौनमिहोना	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		गोरमी	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		मौ	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .

1	2	3	4		5	5 (ब)	6	7	8							9			10	
4.	**ग्वालियर :**		. .	. .	जुताई चालू	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		ग्वालियर	. .	. .	बोनी चालू	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		डबरा	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		भितरवार	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		चीनोर	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		घाटीगांव	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
5.	**दतिया :**		. .	. .	जुताई चालू	. .	. .	. .	गन्ना	धान	. .	अधिक	. .	समान	. .	5. पर्याप्त.	6.(अ)संतोषजनक,	6.(ब)अच्छी.	7. पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
		सेवढ़ा	. .	. .	बोनी चालू	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		दतिया	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		इन्दरगढ़	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		बढौनी	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		भाण्डेर	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
6.	**शिवपुरी :**		. .	. .	जुताई चालू	. .	. .	. .	चना	राईसरसों	. .	. .	. .	सुधरी हुई	. .	5. पर्याप्त.	6.(अ)संतोषजनक,	6.(ब)अच्छी.	7. पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
		शिवपुरी	. .	. .	बोनी चालू	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		पिछोर	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		खनियाधाना	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		नरवर	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		करैरा	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		कोलारस	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		पोहरी	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		बैराढ़	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		बदरवास	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
7.	**अशोकनगर :**		. .	. .	जुताई चालू	. .	. .	. .	गेहूँ	चना	राईसरसों	समान	65%	. .	. .	5. पर्याप्त.	6.(अ)पर्याप्त,	6.(ब)अच्छी.	7. . .	8. पर्याप्त.
		मुँगावली	. .	. .	बोनी चालू	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		ईसागढ़	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		अशोकनगर	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		चन्देरी	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		नई सराय	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		पिपरई	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		शाढौरा	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .

1	2	3	4		5	5 (ब)	6	7	8							9			10	
8.	**गुना :**		. .	. .	. .	. .	. .	. .	सोयाबीन	उड़द	. .	समान	. .	बिगड़ी	30%	5. . .	6.(अ)संतोषजनक,	6.(ब)अच्छी.	7. . .	8. पर्याप्त.
		गुना	. .	. .	. .	. .	. .	. .	मक्का	. .	. .	समान	. .	समान	. .	. .	. .	. .	. .	0
		राघोगढ	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		बमोरी	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		आरोन	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		चाचौड़ा	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		मकसूदनगढ़	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		कुम्भराज	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
9.	**टीकमगढ़ :**		. .	. .	जुताई चालू	. .	. .	. .	तुअर	. .	. .	कम	0.15	. .	. .	5. पर्याप्त.	6.(अ)संतोषजनक,	6.(ब)अच्छी.	7. पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
		निवाड़ी	. .	. .	. .	. .	. .	. .	ज्वार	. .	. .	अधिक	0.05	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		पृथ्वीपुर	0	. .	. .	. .	. .	. .	तुअर	. .	. .	कम	15%	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		जतारा	. .	. .	. .	. .	. .	. .	गन्ना	. .	. .	कम	20%	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		टीकमगढ़	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		बल्देवगढ़	#REF!	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		पलेरा	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		खरगापुर	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		मोहनगढ़	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		लिधौरा	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		ओरछा	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
10.	**छतरपुर :**		. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	5. . .	6.(अ)संतोषजनक,	6.(ब)अच्छी.	7. पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
		लौण्डी	. .	. .	. .	. .	. .	. .	तुअर	. .	. .	कम	15%	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		गौरीहार	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		नौगांव	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		छतरपुर	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		राजनगर	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		बीजावर	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		बड़ा मलहरा	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		महाराजपुर	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		चंदला	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		धुवारा	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		लवकुशनगर	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		बक्सवाहा	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .

1	2	3	4		5	5 (ब)	6	7	8							9			10	
11.	**पन्ना :**		. .	. .	. .	. .	. .	. .	धान	ज्वार	तुअर	. .	. .	. .	. .	5. . .	6.(अ)संतोषजनक,	6.(ब)अच्छी.	7. पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
		अजयगढ़	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		पन्ना	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		गुन्नौर	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		पवई	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		रैपुरा	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		अमानगंज	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		देवेन्द्रनगर	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		सिमरिया	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		शाहनगर	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		जयसिंह नगर	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
12.	**सागर :**		. .	. .	. .	. .	. .	. .	धान	. .	. .	कम	10%	बिगड़ी	30%	5. . .	6.(अ)संतोषजनक,	6.(ब)अच्छी.	7. पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
		बीना	. .	. .	. .	. .	. .	. .	तुअर	. .	. .	कम	10%	बिगड़ी	40%	. .	. .	. .	. .	. .
		खुरई	. .	. .	. .	. .	. .	. .	ज्वार	. .	. .	कम	50%	बिगड़ी	50%	. .	. .	. .	. .	. .
		बण्डा	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		सागर	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		रेहली	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		देवरी	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		गढ़ाकोटा	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		राहतगढ़	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		केसली	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		मालथोन	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		शाहगढ़	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
13.	**दमोह :**		. .	. .	. .	. .	. .	. .	धान	. .	. .	कम	2%	समान	. .	5. पर्याप्त.	6.(अ)संतोषजनक,	6.(ब)अच्छी.	7. पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
		हटा	. .	. .	. .	. .	. .	. .	तुअर	. .	. .	अधिक	. .	समान	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		बटियागढ़	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		दमोह	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		पथरिया	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		जवेरा	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		तेन्दूखेड़ा	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		पटेरा	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .

1	2	3	4		5	5 (ब)	6	7	8							9			10	
14.	**सतना :**		. .	. .	जुताई चालू	. .	. .	. .	तुअर	. .	. .	समान	. .	समान	. .	5. . .	6.(अ)संतोषजनक,	6.(ब)अच्छी.	7. पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
		रघुराजनगर	. .	. .	बोनी चालू	. .	. .	. .	सोयाबीन	. .	. .	कम	15%	समान	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		मझगवां	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		रामपुर (ब.)	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		नागौद	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		उचेहरा	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		अमरपाटन	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		रामनगर	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		मैहर	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		कोठर	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		बिरसिहपुर	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
15.	**रीवा :**		. .	. .	. .	. .	. .	. .	धान	. .	. .	समान	. .	समान	. .	5. पर्याप्त.	6.(अ)संतोषजनक,	6.(ब)अच्छी.	7. पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
		त्यौंथर	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		सिरमौर	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		मऊगंज	. .	. .	. .	. .	. .	. .	तुअर	. .	. .	कम	15%	समान	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		हनुमना	. .	. .	. .	. .	. .	. .	ज्वार	. .	. .	कम	20%	समान	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		हुजूर	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		गुढ़	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		मनगवां	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		सेमरिया	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		जवा	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		नईगढ़ी	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		रायपुर (कर्चु)	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
16.	**शहडोल :**		. .	. .	जुताई चालू	. .	. .	. .	धान	तुअर	. .	अधिक	5%	समान	. .	5.अपर्याप्त.	6.(अ)संतोषजनक,	6.(ब)अच्छी.	7. पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
		सोहागपुर	. .	. .	बोनी चालू	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		ब्यौहारी	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		जयसिंहनगर	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		बुढ़ार	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		गोहपारू	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		जैतपुर	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .

1	2	3	4		5	5 (ब)	6	7	8							9			10	
17.	**अनूपपुर :**		. .	. .	जुताई चालू	. .	. .	धान	. .	. .	समान	. .	. .	सुधरी हई	10%	5. . .	6.(अ)संतोषजनक,	6.(ब)अच्छी.	7. पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
		जैतपुर	. .	. .	बोनी चालू	. .	. .	तुअर	. .	. .	अधिक	10%	. .	सुधरी हई	10%	. .	. .	. .	. .	. .
		अनूपपुर	. .	. .	. .	. .	. .	ज्वार	. .	. .	अधिक	5%	. .	सुधरी हई	15%	. .	. .	. .	. .	. .
		कोतमा	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		पुष्पराजगढ़	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	25%	. .	. .	. .	. .	. .
18.	**उमरिया :**		. .	. .	जुताई चालू	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	5. पर्याप्त.	6.(अ)संतोषजनक,	6.(ब)अच्छी.	7. पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
		बांधवगढ़	. .	. .	बोनी चालू	. .	. .	. .	धान	. .	. .	अधिक	20%	समान	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		पाली	1.0	. .	. .	. .	. .	. .	तुअर	. .	. .	कम	30%	समान	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		चंदिया	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .		. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		नौरोजाबाद	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .		. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		मानपुर	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .		. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
19.	**सीधी :**		. .	. .	जुताई चालू	. .	. .	. .	राईसरसों	. .	समान	कम	80%	समान	. .	5. . .	6.(अ)संतोषजनक,	6.(ब)अच्छी.	7. पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
		गोपदवनास	. .	. .	बोनी चालू	. .	. .	. .	चना	. .	समान	कम	70%	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		सिंहावल	. .	. .	. .	. .	. .	. .	अलसी	. .	. .	कम	10%	समान	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		मझौली	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		कुसमी	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		चुरहट	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		बहरी	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		रामपुरनैकिन	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
20.	**सिंगरौली:**		. .	. .	जुताई चालू	. .	. .	. .	ज्वार	. .	. .	समान	. .	सुधरी हुई	5%	5. . .	6.(अ)संतोषजनक,	6.(ब)अच्छी.	7. पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
		चितरंगी	. .	. .	बोनी चालू	. .	. .	. .	चना	. .	. .	कम	. .	समान	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		देवसर	. .	. .	. .	. .	. .	. .	तुअर	धान	. .	कम	5%	सुधरी हई	5%	. .	. .	. .	. .	. .
		सरई	. .	. .	. .	. .	. .	. .	राईसरसों	. .	. .	कम	5%	समान	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		माडा	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .		. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		सिंगरोली	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .		. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .

1	2	3	4		5	5 (ब)	6	7	8							9			10	
21.	**मंदसौर :**		. .	कम	जुताई चालू	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	5.पर्याप्त	6.(अ)संतोषजनक,	6.(ब)अच्छी.	7. पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
		सुवासरा	. .	. .	बोनी चालू	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		भानपुरा	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		मल्हारगढ़	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		गरोठ	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		मंदसौर	22.5	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		श्यामगढ़	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		सीतामऊ	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		दलोदा	22.5	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		धुंधड़क्का	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		संजीत	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		कयामपुर	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
22.	**नीमच :**		. .	. .	जुताई चालू	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	5. पर्याप्त.	6.(अ)संतोषजनक,	6.(ब)अच्छी.	7. पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
		जावद	. .	. .	बोनी चालू	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		नीमच	9.0	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		सिंगौली	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		जीरन	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		रामपुर	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		मनासा	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
23.	**रतलाम :**		. .	. .	जुताई चालू	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	5. . .	6.(अ)संतोषजनक,	6.(ब)अच्छी.	7. . ..	8. पर्याप्त.
		जावरा	. .	. .	बोनी चालू	. .	. .	.	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		आलोट	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		सैलाना	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		बाजना	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		ताल	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		रावटी	5.0	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		पिपलोदा	3.0	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		रतलाम	3.0	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .

1	2	3	4		5	5 (ब)	6	7	8							9			10	
24.	**उज्जैन :**		. .	. .	जुताई चालू	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	5. पर्याप्त.	6.(अ)संतोषजनक,	6.(ब)अच्छी.	7. पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
		खाचरौद	28.0	. .	बोनी चालू	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		महिदपुर	48.0	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		तराना	21.0	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		घटिया	25.0	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		उज्जैन	63.0	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		बड़नगर	62.0	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		नागदा	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
25.	**आगर :**		. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	5. पर्याप्त.	6.(अ)संतोषजनक,	6.(ब)अच्छी.	7. . .	8. पर्याप्त.
		बड़ौद	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		सुसनेर	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		नलखेड़ा	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		आगर	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
26.	**शाजापुर:**		. .	. .	जुताई चालू	. .	. .	. .	तुअर	. .	. .	कम	10%	समान	. .	5. पर्याप्त.	6.(अ)संतोषजनक,	6.(ब)अच्छी.	7. पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
		मोमन (बड़े)	4.0	. .	बोनी चालू	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		शाजापुर	27.0	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		शुजालपुर	68.0	. .	. .	. .		. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		कालापीपल	52.0	. .	. .	. .		. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		पोलायकलां	. .	. .	. .	. .		. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		अवंतीपुर बडौदिया	. .	. .	. .	. .		. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		गुलाना	28.0	. .	. .	. .		. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
27.	**देवास :**		. .	. .	. .	. .	. .	. .	ज्वार	. .	. .	कम	60%	सुधरी हुई	. .	5. . .	6.(अ)संतोषजनक,	6.(ब)अच्छी.	7. पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
		सोनकच्छ	2.0	. .	. .	. .	. .	. .	कपास	. .	. .	कम	30%	बिगड़ी	50%	. .	. .	. .	. .	. .
		टोंकखुर्द	31.0	. .	. .	. .	. .	. .	तुअर	. .	. .	कम	40%	सुधरी हुई	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		देवास	3.0	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		बागली	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		कन्नोद	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		हाटपिपल्या	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		सतवास	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		उदयनगर	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		खातेगांव	3.4	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .

1	2	3	4	5	5 (ब)	6	7	8							9			10	
28.	**झाबुआ :**		. . . .	जुताई चालू	. .	. .	. .	मक्का	ज्वार	कपास	समान	. .	बिगड़ी	20%	5. अपर्याप्त.	6.(अ)संतोषजनक,	6.(ब)अच्छी.	7. पर्याप्त.	8. . .
		थांदला	. . . .	बोनी चालू	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		मेघनगर	40.0 . .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		पेटलावद	25.8 . .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		झाबुआ	. . . .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		राणापुर	. . . .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		रामा	. . . .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
29.	**अलीराजपुर :**	. .	. .	. . . .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	5. . .	6.(अ)संतोषजनक,	6.(ब)अच्छी.	7. . .	8. पर्याप्त.
		जोवट	6.6 . .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		अलीराजपुर	6.0 . .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	.
		कट्टीवाड़ा	2.0 . .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	.
		सोंडवा	1.2 . .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		उदयगढ़	6.4 . .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		चन्द्रशेखर आ. नगर	6.6 . .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		भामरा	. . . .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
30.	**धार :**		. . . .	जुताई चालू	. .	. .	. .	कपास	. .	. .	अधिक	5%	समान	. .	5. . .	6.(अ)संतोषजनक,	6.(ब)अच्छी.	7. . .	8. पर्याप्त.
		बदनावर	. . . .	बोनी चालू	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		सरदारपुर	15.0 . .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		धार	35.3 . .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		कुक्षी	. . . .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		मनावर	24.0 . .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		धरमपुरी	10.0 . .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		गंधवानी	3.0 . .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		डही	12.0 . .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		पीथमपुर	27.4 . .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
31.	**इन्दौर :**		. . . .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	5. पर्याप्त.	6.(अ)संतोषजनक,	6.(ब)अच्छी.	7. पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
		देपालपुर	11.4 . .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		सांवेर	19.8 . .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		इन्दौर	6.8 . .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		गौतमपुरा	5.0 . .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		महू (अम्बे.)	8.2 . .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .

1	2	3	4		5	5 (ब)	6	7	8							9			10	
32.	**खरगौन :**		. .	. .	. .	. .	. .	. .	कपास	. .	. .	अधिक	. .	समान	. .	5. पर्याप्त.	6.(अ)संतोषजनक,	6.(ब)अच्छी.	7. पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
		बड़वाह	14.0	. .	. .	. .	. .	. .	तुअर	. .	. .	कम	. .	समान	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		महेश्वर	26.2	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		सेगांव	21.0	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		खरगौन	13.9	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		गोगावां	13.0	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		कसरावद	31.0	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		भगवानपुरा	9.0	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		भीकनगांव	24.0	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		सनावद	20.0	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		झिरन्या	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
33.	**बड़वानी :**		. .	पर्याप्त	कटी फसल	. .	. .	. .	कपास	. .	. .	अधिक	20%	समान	. .	5. . .	6.(अ)संतोषजनक,	6.(ब)अच्छी.	7. पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
		बड़वानी	11.5	. .	पर वर्षा	. .	. .	. .	ज्वार	. .	. .	कम	25%	समान	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		ठीकरी	39.4	. .	का प्रभाव है	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		राजपुर	27.0	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		सेंधवा	49.6	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		पानसेमल	35.0	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		पाटी	10.5	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		अंजड	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		बरला	34.3	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		निवाली	26.0	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
34.	**खण्डवा :**		. .	पर्याप्त	. .	. .	. .	. .	धान	कपास	ज्वार	समान	. .	समान	. .	5. पर्याप्त.	6.(अ)संतोषजनक,	6.(ब)अच्छी.	7. . .	8. पर्याप्त.
		खण्डवा	39.0	. .	. .	. .	. .	. .	तुअर	. .	. .	समान	. .	समान	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		पुनासा	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		खालवा	21.0	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		पंधाना	32.0	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		हरसूद	6.0	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
35.	**बुरहानपुर :**			अधिक	कटी फसल	. .	. .	. .	कपास	. .	. .	अधिक	15%	समान	. .	5. . .	6.(अ)संतोषजनक,	6.(ब)अच्छी.	7. पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
		बुरहानपुर	23.6	. .	पर वर्षा का	. .	. .	. .	तुअर	. .	. .	कम	5%	समान	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		खकनार	29.0	. .	प्रभाव है.	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		नेपानगर	52.0	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	.	. .	. .	. .	. .	. .

1	2	3	4		5	5 (ब)	6	7	8							9			10	
36.	**राजगढ़ :**		. .	. .	जुताई चालू	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	5. पर्याप्त.	6.(अ)संतोषजनक,	6.(ब)अच्छी.	7. पर्याप्त	8. पर्याप्त.
		राजगढ़	4.0	. .	बोनी चालू	. .	. .	. .	गेहूँ	चना	मसूर	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		जीरापुर	3.0	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		खिलचीपुर	3.0	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		ब्यावरा	2.6	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		सारंगपुर	16.4	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		पचोर	4.0	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		नरसिंहगढ	19.0	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
37.	**विदिशा :**		. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	5. पर्याप्त.	6.(अ)संतोषजनक,	6.(ब)अच्छी.	7. पर्याप्त	8. पर्याप्त.
		लटेरी	5.0	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		सिरोंज	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		कुरवाई	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		बासोदा	1.6	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		नटेरन	8.0	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		विदिशा	12.0	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		गुलाबगंज	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		शमसाबाद	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		त्यौंदा	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		पठारी	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		ग्यारसपुर	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
38.	**भोपाल :**		. .	. .	जुताई चालू	. .	. .	. .	धान		. .	. .	सामान	. .	सामान	. .	5. पर्याप्त.	6.(अ)संतोषजनक,	6.(ब)अच्छी.	7. पर्याप्त	8. पर्याप्त.
		बैरसिया	8.0	. .	बोनी चालू	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		कोलार	16.4	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		हुजूर	76.0	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		बैरागढ़	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
39.	**सीहोर :**		. .	पर्याप्त	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	5. . .	6.(अ)संतोषजनक,	6.(ब)अच्छी.	7. . .	8. पर्याप्त.
		सीहोर	36.8	. .	. .	. .	. .	. .	गन्ना	. .	. .	कम	85%	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		आष्टा	1.0	. .	. .	. .	. .	. .	तुअर	. .	. .	कम	10%	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		इछावर	3.0	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		नसरूल्लागंज	3.0	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		रेहटी	3.6	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		श्यामपुर	50.0	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		जावर	5.4	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		बुधनी	4.0	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .

1	2	3	4		5	5 (ब)	6	7	8							9			10	
40.	**रायसेन :**		. .	पर्याप्त	. .	. .	. .	. .	तुअर	. .	. .	समान	. .	बिगड़ी	50%	5. . .	6.(अ)संतोषजनक,	6.(ब)अच्छी.	7.पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
		रायसेन	29.4	. .	. .	. .	. .	. .	धान	. .	. .	अधिक	20%	सुधरी हुई	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		गैरतगंज	3.0	. .	. .	. .	. .	. .	गन्ना	. .	. .	अधिक	5%	सुधरी हुई	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		बेगमगंज	4.0	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		गोहरगंज	19.0	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		बरेली	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		सिलवानी	18.2	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		बाड़ी	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		सुल्तानपुर	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		उदयपुरा	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
41.	**बैतूल :**		. .	अधिक	. .	. .	. .	. .	धान	. .	. .	अधिक	2%	सुधरी हुई	2%	5. . .	6.(अ)संतोषजनक,	6.(ब)अच्छी.	7.पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
		बैतूल	67.0	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		भैंसदेही	214.7	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		घोड़ाडोंगरी	46.0	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		शाहपुर	21.0	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		चिचोली	69.6	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		मुल्ताई	11.9	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		आठनेर	49.1	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		आमला	59.0	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		प्र.पटनम	6.6	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		भीमपुर	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
42.	**होशंगाबाद :**		. .	पर्याप्त	जुताई चालू	. .	. .	. .	धान	. .	. .	अधिक	15%	समान	. .	5. पर्याप्त.	6.(अ) . .	6.(ब)अच्छी.	7.पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
		होशंगाबाद	2.8	. .	. .	. .	. .	. .	तुअर	. .	. .	कम	25%	बिगड़ी	10%	. .	#REF!	. .	. .	. .
		~~सिवनी मालवा~~	35.2	. .	. .	. .	. .	. .	गन्ना	. .	. .	कम	10%	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		बावई	4.0	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		इटारसी	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		सोहागपुर	4.0	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		पिपरिया	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		बनखेड़ी	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		डोलरिया	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		पचमढ़ी	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .

1	2	3	4		5	5 (ब)	6	7	8							9			10	
43.	**हरदा :**		. .	अधिक	जुताई चालू	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	5. पर्याप्त.	6.(अ)संतोषजनक,	6.(ब)अच्छी.	7. पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
		हरदा	38.6	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		खिड़किया	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		सिराली	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		रेहटगांव	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		हंडिया	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		टिमरनी	1.5	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
44.	**जबलपुर :**		. .	. .	जुताई चालू	. .	. .	. .	धान	. .	. .	कम	15%	सुधरी हुई	5%	5. पर्याप्त.	6.(अ)संतोषजनक,	6.(ब)अच्छी.	7. पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
		जबलपुर	. .	. .	बोनी चालू	. .	. .	. .	मक्का	. .	. .	अधिक	30%	समान	. .	. .				
		कुण्डम	. .	. .	. .	. .	. .	. .	तुअर	. .	. .	कम	40%	समान	. .	. .				
		सीहोरा	. .	. .	. .	. .	. .	. .	उड़द	. .	. .	कम	10%	समान	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		पाटन	. .	. .	. .	. .	. .	. .	मूंग	. .	. .	कम	70%	समान	. .	. .				
		मझौली	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .				
		शाहपुरा	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		पनागर	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		अधारताल	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
45.	**कटनी :**		. .	. .	जुताई चालू	. .	. .	. .	धान	तुअर	. .	. .	. .	समान	. .	5. पर्याप्त.	6.(अ)संतोषजनक,	6.(ब)अच्छी.	7. पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
		बहोरीबंद	. .	. .	बोनी चालू	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		ढीमरखेड़ा	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		रीठी	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		बड़वारा	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		मुड़वारा (क)	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		विजयराघवगढ़	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		बरही	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
46.	**नरसिंहपुर :**		. .	. .	जुताई चालू	. .	. .	. .	गन्ना	. .	. .	कम	5%	. .	. .	5. . .	6.(अ)संतोषजनक,	6.(ब)अच्छी.	7. पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
		नरसिंहपुर	. .	. .	बोनी चालू	. .	. .	. .	धान	तुअर	. .	अधिक	5%	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		गोटेगांव	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		करेली	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		गाडरवारा	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		तेंदूखेड़ा	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .

1	2	3	4		5	5 (ब)	6	7	8							9			10	
47.	**मण्डला :**		. .	पर्याप्त	. .	. .	. .	. .	तुअर	धान	. .	समान	. .	सुधरी हुई	. .	5. . .	6.(अ)संतोषजनक,	6.(ब)अच्छी.	7. पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
		मण्डला	41.3	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		नैनपुर	36.2	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		बिछिया	27.8	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		निवास	25.0	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		नारायणगंज	7.8	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		घुघरी	35.7																	
48.	**डिण्डोरी:**		. .	पर्याप्त	. .	. .	. .	. .	धान	तुअर	. .	समान	. .	समान	. .	5. पर्याप्त.	6.(अ)संतोषजनक,	6.(ब)अच्छी.	7. पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
		डिण्डौरी	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		शाहपुरा	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		बजाग	12.6	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
49.	**छिन्दवाड़ा :**		. .	अधिक	कटी फसल	. .	. .	. .	मक्का	. .	. .	अधिक	5%	समान	. .	5. पर्याप्त.	6.(अ)संतोषजनक,	6.(ब)अच्छी.	7. . .	8. पर्याप्त.
		छिन्दवाड़ा	52.3	. .	पर वर्षा का	. .	. .	. .	सोयाबीन	. .	. .	समान	. .	समान	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		तामिया	3.0	. .	प्रभाव है	. .	. .	. .	धान	. .	. .	कम	20%	समान	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		परासिया	64.7	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		जुन्नारदेव	27.2	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		सोंसर	8.0	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		बिछुआ	17.2	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		अमरवाड़ा	16.2	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		चौरई	65.9	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		उमरेठ	13.6	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		मोहखेड़	18.4	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		हर्रई	7.0	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		चांद	26.3	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		पांढुर्णा	16.3	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
50.	**सिवनी :**		. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	5. . .	6.(अ)संतोषजनक,	6.(ब)अच्छी.	7. पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
		सिवनी	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		बरघाट	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		कुरई	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		केवलारी	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		लखनादोन	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		छपारा	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		धनोरा	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		घंसोर	. .																	

1	2	3	4		5	5 (ब)	6	7	8							9			10	
51.	**बालाघाट**	:	. .	. .	. .	. .	. .	. .	धान	. .	. .	समान	. .	समान	. .	5. पर्याप्त.	6.(अ)संतोषजनक,	6.(ब)अच्छी.	7. . .	8. पर्याप्त.
		बालाघाट	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		लाँजी	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		किरनापुर	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		बैहर	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		वारासिवनी	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		कटंगी	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		लालबर्रा	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		तिरोडी	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		परसवाड़ा	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		बिरसा	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		खैरलाँजी	. .																	

बी. बी. अग्निहोत्री,
उप-आयुक्त,
वास्ते-आयुक्त,
भू-अभिलेख एवं बन्दोबस्त, मध्यप्रदेश.

(24)

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा प्रकाशित तथा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, ग्वालियर द्वारा मुद्रित-2020.